गोवा फाउंडेशन

वी.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

( 2015 की एसएलपी (सिविल) संख्या 32138)

फरवरी 7,2018

[ मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

खान और खनिजः

खनन पट्टों का नवीनीकरण-स्वामित्व-संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के बारे में जानकारी के अनुसार जांच आयोग की नियुक्ति।

न्यायालय ने राज्य को पट्टा विलेखों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। 8 ( 3 ) एम. एम. डी. आर. अधिनियम उन पट्टाधारकों के पक्ष में है जिन्होंने पहले ही टिकट का भुगतान कर दिया है। खनिज नीति 2013 के अनुसार शुल्क-इसके अलावा राज्य को नवीकरण आवेदनों के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया। 8 ( 3 ) , जिन लोगों ने स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया था-उसके बाद गोवा राज्य का गठन किया गया

गोवा खनन पट्टा अनुदान नीति 2014-केंद्र सरकार ने खानों और खनिजों (विकास और विनियमन) का मसौदा तैयार किया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 2014 (संशोधित अधिनियम) और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ एस. 10 बी ने इसके तुरंत बाद और तारीख तक प्रतिस्पर्धी बोली के लिए प्रावधान किया

संशोधन अध्यादेश की घोषणा, गोवा राज्य ने कई खनन पट्टा धारकों को दूसरा नवीनीकरण प्रदान किया-इसके बाद, राज्य ने पर्यावरण मंजूरी पर स्थगन आदेश (दिनांक 14.9.2012) को हटाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया-परिणामस्वरूप पर्यावरण मंत्रालय ने दिनांकित आदेशों द्वारा

20.3.2015 72 मामलों के संबंध में स्थगन आदेश हटा लिया गया 139 – आयोजित किया गयाः गोवा राज्य का दूसरा नवीनीकरण करने का निर्णय

खनन पट्टों की गणना गलत थी और गोवा में निर्णय के विपरीत थी *

पट्टे नए पट्टे का अनुदान पट्टे के नवीनीकरण के समान नहीं है-राज्य नए पट्टे देने के लिए किसी भी संवैधानिक दायित्व के तहत नहीं था प्रतिस्पर्धी बोली या नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से खनन पट्टे-हालांकि, दूसरा नवीनीकरण सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखे बिना और प्रासंगिक को नजरअंदाज किए बिना अनावश्यक रूप से जल्दबाजी में किया गया था।

सामग्री, खनिज विकास के हित में नहीं थी

नवीकरण का निर्णय केवल राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए था जो एस के दायरे से बाहर है। 8 ( 3 ) 1957 का अधिनियम-इसलिए, राज्य द्वारा दिए गए दूसरे नवीनीकरण को अलग रखा जा सकता है-पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में नई पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए बाध्य था -

कानून और निर्णय के अनुसार खनन पट्टों का नया अनुदान

* गोवा फाउंडेशन मामला और न कि केवल स्थगन आदेश को हटाकर

दिनांक 14.9.2012-उच्च न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा कि वह राज्य को दूसरा नवीनीकरण देने का निर्देश दे सकता है

गोवा फाउंडेशन मामले में निर्देश-खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957। 8 ( 3 ) जंगल।

( संरक्षण) अधिनियम, 1980-पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986।

नीलामीः

प्राकृतिक संसाधन आवंटन-नीलामी विधि के माध्यम से

-

क्या अनिवार्य-आयोजितः कोई संवैधानिक या अन्यथा नहीं है

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए अधिदेश (स्पेक्ट्रम के अलावा)

नीलामी विधि के माध्यम से-लेकिन, नीलामी प्रक्रिया को बिना किसी औचित्य के मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए-अनुमति देने का निर्णय

न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है और कला को आकर्षित करेगा। 14 – समीक्षा यह है कि

अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब आबंटन वाणिज्यिक कार्यों के लिए हो। किसी भी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से लाभ-यह गोवा फाउंडेशन की अनुमति नहीं होगी।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

यदि ऐसा आवंटन किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए है तो न्यायिक समीक्षा-भारत का संविधान-कला। 14 .

न्यायिक समीक्षाः

नीतिगत निर्णय की न्यायिक समीक्षा-निपटान के संबंध में

प्राकृतिक संसाधनों का दायरा-आयोजितः किसी नीति की न्यायिक समीक्षा को खुला रखा जाता है यदि यह कला में समझे गए सामान्य हित की सेवा नहीं करती है। 39 ( (ख) और यदि यह कला का उल्लंघन करता है। 14 - हालाँकि, अदालतों को बहुत होना चाहिए

किसी नीति को कमजोर करने या अलग रखने में सतर्क और चौकस रहना चाहिए और ऐसा तभी करना चाहिए जब वह संवैधानिक रूप से अपरिहार्य हो-भारत का संविधान-कला। 14 और 39 (बी)-प्रशासनिक कानून।

लीजः

पट्टे का नवीनीकरण बनाम नए पट्टे का अनुदान-आयोजितः नए पट्टे का अनुदान पट्टे के नवीनीकरण के समान नहीं है-इसलिए, नवीनीकरण को नए पट्टे के अनुदान की राशि नहीं कहा जा सकता है।

पर्यावरण कानूनः

पर्यावरण और किसी समुदाय या क्षेत्र या राज्य के लोगों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है-एक या दो उल्लंघनों को दूर किया जा सकता है असंगत, लेकिन कई व्यक्तियों द्वारा कई उल्लंघनों के परिणामस्वरूप गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने का गोवा राज्य का निर्णय गलत है, जो इस निर्णय के विपरीत है

गोवा फाउंडेशन मामले में और इसे रद्द किया जाना चाहिए। गोवा फाउंडेशन मामले में न्यायालय स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अन्य बातों के साथ-साथ खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण से संबंधित था

और फिर भी इसने तथ्यात्मक स्थिति को याद करने, एक घोषणा करने और खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण की संभावना को स्वीकार किए बिना एक निर्देश पारित करने का विकल्प चुना। अदालत इस बात से भी अवगत थी कि खनन पट्टा धारकों ने लगभग पांच वर्षों (नवंबर 2007 से सितंबर 2012 तक) तक अंधाधुंध और अवैध खनन किया था और अवैध खनन से लाभ कमाया था। अनुक्रम

सितंबर 2012 के बाद की घटनाओं में, अवैध रूप से खनन किए गए अयस्क के निपटान के लिए एक निगरानी समिति की नियुक्ति, घोषणा और निर्देश स्पष्ट रूप से पट्टे [2018] 2 एस. सी. आर. द्वारा अवैध खनन के घृणित अध्याय को समाप्त करने के न्यायालय के इरादे की ओर इशारा करते हैं।

धारकों और एक साफ स्लेट पर शुरू करें। इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, न्यायालय ने वास्तव में गोवा राज्य को कानून के अनुसार नए पट्टे देने पर विचार करने का इरादा किया था। [ पारस 41,58] [395-बी-डी; 400 एफ-जी]

1.2 रिपोर्ट के पैराग्राफ 87.5 में गोवा फाउंडेशन मामले में अदालत की घोषणा भी बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थात्, "यह राज्य सरकार को नीतिगत मामले के रूप में तय करना है कि क्या करना है।

जिस तरह से भविष्य में खनन पट्टे दिए जाने हैं।

घोषणा स्पष्ट थी और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित थी न कि दूसरे नवीनीकरण से। इसी तरह, रिपोर्ट के पैराग्राफ 88.4 में दिया गया निर्देश कि "राज्य सरकार गोवा में लौह अयस्क और अन्य अयस्कों के खनन पट्टे दे सकती है।

अपने नीतिगत निर्णय के अनुसार ". समान रूप से स्पष्ट था और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित था न कि दूसरे नवीनीकरण से। [ पारस 42,43] [395-ई-एफ]

1.3 वर्तमान याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि गोवा राज्य ने गोवा फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के फैसले को समझ लिया था, जिसका अर्थ था कि गोवा राज्य द्वारा अभी तक बनाई जाने वाली नीति के आधार पर नए खनन पट्टों को दिए जाने की आवश्यकता थी और दूसरे नवीनीकरण का मुद्दा विचार के दायरे में नहीं आया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत था कि गोवा राज्य ने 28 खनन पट्टों को सैद्धांतिक रूप से दूसरा नवीनीकरण प्रदान किया था और 27 खनन पट्टों (संभवतः 28 खनन पट्टों में से) से नवीनीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क एकत्र किया था। 28 खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण और नवीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क के संग्रह के सैद्धांतिक अनुदान के बावजूद, इस न्यायालय ने गोवा फाउंडेशन मामले में गोवा राज्य से सचेत रूप से नए पट्टे देने की आवश्यकता जताई। समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवा राज्य ने भी न्यायालय के फैसले को उसी तरह से समझा

और उस आधार पर कार्य करने का इरादा रखता है। [ पारस 46-48] [396-D-E, 397-C E, F-G]

1.4 जबकि इस न्यायालय ने गोवा राज्य से अनुदान देने की अपेक्षा की थी

नए खनन पट्टों और गोवा राज्य इस निर्देश का पालन करने के लिए तैयार था, इसके बजाय उच्च न्यायालय ने इसे उन लोगों के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत खनन पट्टों को निष्पादित करने का निर्देश दिया, जिन्होंने नवीनीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया था। उच्च न्यायालय ने गोवा राज्य को उनके लंबित गोवा फाउंडेशन v पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की अवधि के भीतर दूसरा नवीनीकरण आवेदन (संभवतः 21 फरवरी, 2013 के सरकारी आदेश के संदर्भ में नवीनीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद)। द. गोवा फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के फैसले के बारे में उच्च न्यायालय की समझ पूरी तरह से गलत है। [ पैरा 49] [398-ए-सी]

1.5 यह खनन अनुदान की सामग्री से प्रकट होता है।

पट्टा नीति कि गोवा फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, राज्य कई कारकों पर विचार करते हुए नए खनन पट्टे देने की नीति पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा था। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्णय और निर्देश

राज्य के अनुसार, राजस्व अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से नए खनन पट्टों के अनुदान की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ने और परित्याग को उचित ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। [ पैरा 50] [398-डी]

1.6 इसमें कोई संदेह नहीं है कि पट्टे का नवीनीकरण लगभग एक नए पट्टे के अनुदान के समान है, लेकिन एक विपरीत निर्देश है खनन पट्टा देने का अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है कि

खनन पट्टे का नवीनीकरण। जाहिर है, एक नए पट्टे का अनुदान पट्टे के नवीनीकरण के समान नहीं है और जब गोवा फाउंडेशन मामले में अदालत ने गोवा राज्य को एक नया पट्टा देने की आवश्यकता थी, तो राज्य को मौजूदा (समाप्त) पट्टे को नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय स्पष्ट रूप से घोषणा कर सकता था और गोवा राज्य को खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने का निर्देश दे सकता था, न कि यह कहने के लिए कि उसे ऐसा करना चाहिए

नवीकरण के समतुल्य नया पट्टा प्रदान करना। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि खनन पट्टे का नवीनीकरण इसके बराबर है या एक नए पट्टे के अनुदान के लिए राशि। [ पारस 52,55] [399-एफ-जी; 400-ए]

सामान्य कारण वी। भारत संघ (2014) 14 एससीसी 155: [ 2014 ] 7 एससीआर 561-प्रतिष्ठित।

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। दुर्गा चंद कौशिस (1973) 2 एस. सी. सी. 825: [ 1974 ] 1 एस. सी. आर. 535; प्रोवाश चंद्र दलुई बनाम। विश्वनाथ बनर्जी (1989) पूरक 1 एससीसी 487 [1989] 2 एससीआर 401; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (2004) 12 एस. सी. सी. 118 [2004] 3 एस. सी. आर. 128; राज्य

पश्चिम बंगाल बनाम. कलकत्ता खनिज आपूर्ति कंपनी

प्राइवेट लिमिटेड (2015) 8 एससीसी 655: [ 2015 ] 9 एससीआर 230; [2018] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गजराज सिंह बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (1997)

1 एस. सी. सी. 650 [1996] 6 पूरक। एस. सी. आर. 172-संदर्भित।

2.1 कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है (ए की बात तो छोड़िए)

नीलामी पद्धति (स्पेक्ट्रम के अलावा) के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए अधिदेश) लेकिन साथ ही नीलामी प्रक्रिया को बिना किसी औचित्य के मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

-

अनुमति देने के निर्णय की न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है, हालांकि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित हो सकता है। [ पैरा 69] [406 सी-डी]

2.2 नतीजतन, जबकि कोई जनादेश नहीं है, संवैधानिक

किसी भी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए निजी उद्यमियों को अधिकतम करने के लिए न्यायिक समीक्षा की अनुमति होगी और अनुच्छेद 14 संविधान को आकर्षित किया जाएगा और यदि कार्यकारी कार्रवाई मनमाना पाई जाती है, तो इसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए, जब प्राकृतिक संसाधन आवंटन की बात आती है, तो कार्यकारी के पास कुछ हद तक सीमित जगह होती है। [ पैरा 69] [406-ई-एफ]

3.1 नीति की न्यायिक समीक्षा को खुला रखा जाता है यदि वह ऐसा नहीं करती है।

संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में समझाया गया है कि आम भलाई की सेवा करें। संविधान, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अलग करता है

संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) को दरकिनार करते हुए उद्यमी।

" विधायिका और कार्यपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह हैं और यह वह जगह है जहाँ न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक, को निपटान की शक्तियों की रूपरेखा खोजना चाहिए।

प्राकृतिक संसाधनों का, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39 (बी) [संविधान का]। [ पैरा 74] [410-जी; 411-ए]

3.2 इसके बावजूद, न्यायालय को संयम बरतना चाहिए।

और सरकारी नीति को केवल इसलिए अलग नहीं किया जाता है क्योंकि वह उससे असहमत है या इसलिए कि एक बेहतर नीति बनाई जा सकती है या केवल इसलिए कि उसके पास नीति को अलग करने की शक्ति है। उचित विचार के बाद राज्य द्वारा बनाई गई नीतियों का सम्मान किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए

पर्याप्त गुंजाइश और लचीलापन दिया जाना चाहिए। बेशक, ऐसे अवसर होंगे जब एक नीति का कार्यान्वयन गोवा फाउंडेशन v।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

शुरुआती समस्याएं हैं या थोड़ी देर बाद कुछ कमी का पता चलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नीति ही दोषपूर्ण है। इसलिए, न्यायालयों को बहुत सतर्क और चौकस रहना चाहिए।

किसी नीति को कमजोर करना या अलग रखना और ऐसा केवल तभी करना चाहिए जब वह संवैधानिक रूप से अपरिहार्य हो, अन्यथा सुशासन एक दुर्घटना हो सकती है। [ पारस 75] [411-बी-सी]

3.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोवा में लौह अयस्क का खनन केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। राज्य ने अधिकतम राजस्व का त्याग किया

जनरल। इसलिए, सिद्धांत रूप में, गोवा राज्य का निर्णय खनन पट्टों के अनुदान की नीलामी नहीं करना त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह आम या सार्वजनिक या सामाजिक भलाई के लिए नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से

निजी उद्यमियों के खजाने को भरने में सहायता की। [ पैरा 93] [ 419 - डी, एफ]

संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड v. कर्नाटक राज्य (2010) 13 एससीसी 1: [ 2010 ] 11 एससीआर 240

प्रतिष्ठित।

4.1 खनन पट्टों के नवीनीकरण में, गोवा राज्य ने कई प्रासंगिक और महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कारकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह धारणा बनी कि नवीनीकरण काफी उचित या उचित नहीं थे। राज्य ने इस तथ्य की अनदेखी की कि हर एक

खनन पट्टा धारक ने अलग-अलग डिग्री में कुछ अवैधता की थी। इन अवैधताओं की पहचान करने के लिए (हालांकि न्यायमूर्ति शाह आयोग और ई. ए. सी. द्वारा उनकी पहचान पहले ही की जा चुकी थी), एक विशेष जांच दल के साथ-साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक टीम भी गठित की गई थी। इनमें से किसी एक दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाय, राज्य ने इसका उल्लंघन किया

खनन पट्टा नीति का अनुदान और खनन पट्टों का नवीनीकरण। [ पारस 104-105] [423-F-H]

4.2 जिस अनुचित जल्दबाजी में राज्य ने कार्रवाई की, उससे यह धारणा बनती है कि वह राज्य के लिए कानून के शासन का त्याग करने को तैयार था।

खनन पट्टा धारकों का लाभ और उनकी आजीविका के लिए समाज के कुछ वर्गों की जरूरतों को पूरा करने की व्याख्या। अनुचित जल्दबाजी को इस संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है कि खनन पट्टा नीति का अनुदान एक सैद्धांतिक निर्णय था और कानूनी आवश्यकताओं [2018] 2 एस. सी. आर. के लिए इसकी जांच के बाद इसे अधिसूचित किया जाना था।

" विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ-साथ वित्तीय दृष्टिकोण से भी। दूसरे शब्दों में, 4 नवंबर, 2014 को प्रकाशित खनन पट्टा अनुदान नीति एक अंतिम नीतिगत विवरण नहीं था, बल्कि केवल एक इरादा था जो उचित जांच के बाद अंतिम रूप लेगा। खनन पट्टा अनुदान नीति अंततः 20 जनवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी, लेकिन राजपत्रित होने से पहले ही इस पर कार्रवाई की गई थी। [ पैरा 106,107] [424-ई-एफ; 428-जी-एच]

4.3 एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश 5 जनवरी, 2015 को आम जनता के लिए जारी किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2015 को इसे लागू किया गया था।

खनन पट्टों के अनुदान के लिए प्रतिस्पर्धी बोली या नीलामी।

गोवा राज्य ने संभवतः खान और खनिज (विकास और विनियमन) के मसौदे के प्रकाशन को देखते हुए इसका अनुमान लगाया था।

अधिनियम, 2014 और इसलिए नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत को विफल करने के लिए खनन पट्टों (खनन पट्टों के अनुदान नीति के बावजूद) के दूसरे नवीनीकरण में जल्दबाजी की गई। [ पैरा 109] [425

ई-एफ]

4.4 राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 स्पष्ट रूप से बताती है कि 2006 और 2012 के बीच पांच साल की अवधि के लिए खनन पट्टा धारकों ने खनन क्षेत्र में विभिन्न अवैधताओं और अनियमितताओं को अंजाम दिया।

देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लाभ हुआ, लेकिन औसत गोवा के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को वास्तविक समय में नुकसान और गोवा के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान फिर भी अतुलनीय या कम से कम महत्वपूर्ण-और निर्यात लाभों को स्वास्थ्य या पर्यावरण के खिलाफ नहीं आंका जा सकता है। [ पैरा 113] [427-सी-ई]

4.5 खनन कार्यों से कोई सामाजिक या सार्वजनिक उद्देश्य जुड़ा नहीं था। खनन गतिविधि के पीछे एक ही उद्देश्य था और वह था अधिकतम लाभ प्राप्त करना। खनन पट्टों के नवीनीकरण से खनन पट्टा धारकों को राज्य या गोवा के औसत निवासी को होने वाले लाभों से कहीं अधिक लाभ होगा। यह ध्यान में नहीं रखा गया था कि देश के भौतिक संसाधनों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

मुफ्त में या उनके वास्तविक मूल्य से कम पर, और खनन पट्टों को स्टाम्प शुल्क और रॉयल्टी के एक छोटे से भुगतान के लिए नवीनीकृत किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य के साथ विचार गोवा के लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि खनन पट्टा धारकों के लिए थे। इसे निश्चित रूप से "खनिज विकास के हित में" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 114] [427-एफ-एच]

विशेष संदर्भ संख्या 1-प्राकृतिक संसाधन आवंटन (2012) 10 एस. सी. सी. 1: [ 2012 ] 9 एस. सी. आर. 311-पर निर्भर।

खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण प्रदान करते हुए। राज्य द्वारा की गई पूरी कवायद जल्दबाजी में की गई थी, चाहे कुछ भी हो खनन पट्टा धारकों द्वारा कानून के उल्लंघन, भारतीय उद्योग को कोई लाभ दिए बिना और औसत गोवा के स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता किए बिना। [ पैरा 116] [428-सी]

4.7 यह सूचित किया जाता है कि 88 खनन पट्टों में से जो थे

उनमें से 38 विभिन्न कारणों से काम नहीं कर रहे हैं-उनके नवीनीकरण को एक खाली अभ्यास बना रहे हैं। यह खनन पट्टों को दूसरा नवीनीकरण देने में गोवा राज्य द्वारा दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी को भी दर्शाता है। [ पारस 121,122] [430-ए-बी]

4.8 यह संभव है कि राज्य को शासन के कुछ गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ा जैसा कि अनुदान में उल्लेख किया गया है। खनन पट्टा नीति। फिर भी राज्य कानून से बंधा हुआ है, लेकिन एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के संदर्भ में दूसरा नवीनीकरण देने में यह कितना भी असहज हो सकता है। इसलिए, मामले के सभी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार करने पर, गोवा राज्य का खनन पट्टों को जल्दी से नवीनीकृत करने का निर्णय

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) की आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से पालन करना और इस तरह कानून के शासन को समाप्त करना अनुचित था। [ पारस 123,124] [430-डी-ई, एच; 431-ए-बी]

4.9 इस प्रकार, गोवा राज्य द्वारा दिए गए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखे बिना और उपलब्ध प्रासंगिक को नजरअंदाज किए बिना अनावश्यक रूप से जल्दबाजी में किया गया था। सामग्री और इसलिए खनिज विकास के हित में नहीं। यह निर्णय केवल राज्य [2018] 2 एस. सी. आर. के राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया था।

जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के दायरे से बाहर है। राज्य द्वारा दिए गए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण

गोवा को अलग रखा जा सकता है और रद्द कर दिया जाता है। [ पैरा 149] [440-बी-सी]

5.1 पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) कानून और गोवा फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार खनन पट्टों के नए अनुदान के संबंध में नई पर्यावरण मंजूरी देने के लिए बाध्य था, न कि केवल 14 सितंबर, 2012 का स्थगन आदेश। [ पैरा 149] [440-डी]

* गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ (2014) 6 एससीसी 590: [ 2014 ] 5 एस. सी. आर. 303; गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ (2014) 6 एससीसी 738; एम. पी. बनाम राज्य कृष्णदास टीकाराम 1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 587: [ 1994 ] 3 पूरक। एससीआर 747 -

पर भरोसा किया।

जनहित याचिका केंद्र v. भारत संघ (2012) 3 एससीसी 1: [ 2012 ] 3 एस. सी. आर. 147; मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव (2014) 9 एससीसी 516: [ 2014 ] 8 एससीआर 446; एम/एस। अजार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सत्यनारायण सोमानी 2017 (10) स्केल 346; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1996) 9 एससीसी 709: [ 1996 ] 3 पूरक। एससीआर 808; संपत्ति मालिक संघ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 7 एससीसी 522 -

संदर्भित किया गया।

5.2 एम. ओ. ई. एफ. ने बिना किसी समझदारी के काम किया

एम. ओ. ई. एफ. द्वारा 20 मार्च, 2015 को स्थगन आदेश को हटाने की कवायद को अमान्य माना जाना चाहिए और गोवा फाउंडेशन मामले में अदालत के निर्देश के अनुसार सभी खनन पट्टा धारकों को अपनी खनन परियोजना के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। [ पैरा 136] [435 सी-ई] 5.3 समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है न कि अलग-अलग तरीके से।

एक समग्र गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

इक्विटी को संतुलित करने के लिए अपरिहार्य होना। [ पैरा 138] [436-बी-ई] 5.4 यह कहना सही नहीं है कि यदि पर्यावरण मंजूरी दी जाती है और पांच साल के भीतर खनन कार्य शुरू हो जाता है।

अवधि, तब ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी परियोजना या खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने तक मान्य है। इस तरह का दृष्टिकोण #एम. सी. मेहता मामले और #कॉमन कॉज मामले में निर्णयों की अनदेखी करता है जो इस विचार को स्वीकार करते हैं कि एक

ई. आई. ए. 1994 के तहत दी गई पर्यावरण मंजूरी केवल पांच साल की है और यह भी विचार है कि एक वैध पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए। एम. ओ. ई. एफ. की कोई भी अधिसूचना इस न्यायालय के फैसलों को रद्द नहीं कर सकती है। जहाँ तक ई. आई. ए. 2006 की बात है

संबंधित, यह प्रावधान करता है कि पर्यावरण मंजूरी अनुमानित परियोजना जीवन के लिए अधिकतम 30 वर्षों के अधीन मान्य होगी। [ पैरा 145] [438-ई-जी]

# एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (2004) 12 एससीसी 118:

[ 2004 ] 3 एससीआर 128;

## सामान्य कारण वी। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 499

- संदर्भित किया गया।

आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने वाले पट्टा धारक के बिना प्रदान किया जाता है, विशेष रूप से जब से नवीकरण का अनुदान है एक नया अनुदान और कानून के अनुरूप होना चाहिए। [ पैरा 132] [433-जी; 434-ए]

अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम। गुजरात राज्य (1987) 1 एससीसी [2018] 2 एस. सी.

213 [ 1987 ] 1 एस. सी. आर. 562; ग्रामीण मुकदमा और

हकदारी केंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) पूरक 1 एस. सी. सी. 504 [ 1988 ] 2 पूरक। एससीआर 690; एम. पी. बनाम राज्य

कृष्णदास टीकाराम (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 587 [1994]

3 पूरक। एस. सी. आर. 747-निर्भर।

6. उच्च न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा

यह गोवा राज्य को गोवा फाउंडा मामले में निर्देश के बावजूद खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने का निर्देश दे सकता है। [ पैरा 148] [439-एफ]

एस. एन. मोहंती बनाम भारत संघ 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन

डेल 4000-विशिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[ 2014 ] 5 एस. सी. आर. 303

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

( 2014 ) 6 एस. सी. सी. 738

उस पर भरोसा करें

पैरा

18

[ 1974 ] 1 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[ 1989 ] 2 एससीआर 401

संदर्भित किया गया है

पैरा

53

[ 2004 ] 3 एससीआर 128

पैरा

53,

संदर्भित किया गया है

[ 2015 ] 9 एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पैरा

54

[ 1996 ] 6 पूरक। एससीआर 172

संदर्भित किया गया है

पैरा

54

[ 2014 ] 7 एससीआर 561

प्रतिष्ठित

पैरा

57

[ 2012 ] 3 एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पैरा

60

[ 2014 ] 8 एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पैरा

61

[ 2012 ] 9 एससीआर 311

उस पर भरोसा करें

पैरा

61

पैरा

73

संदर्भित किया गया है

2017 ( 10 ) स्केल 346

[ 2010 ] 11 एससीआर 240

प्रतिष्ठित

पैरा

95

[ 1996 ] 3 पूरक। एससीआर 808

पैरा

111

संदर्भित किया गया है

( 2017 ) 9 एससीसी 499

संदर्भित किया गया है

पैरा

131

[ 1987 ] 1 एससीआर 562

उस पर भरोसा करें

पैरा

132

उस पर भरोसा करें

[ 1988 ] 2 पूरक। एससीआर 690

पैरा

132

[ 1994 ] 3 पूरक। एससीआर 747

पैरा

132

उस पर भरोसा करें

संदर्भित किया गया है

2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 4000

पैरा

146

( 2013 ) 7 एस. सी. सी. 522

संदर्भित किया गया है

पैरा 147 गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

( सिविल) 2015 की सं. 32138।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.08.2014 से, 2014 के डब्ल्यू. पी. संख्या 293 में गोवा में पणजी बेंच

के साथ

2015 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 32699-32727।

2015 का डब्ल्यू. पी. (सी) Nos.711 और 720।

आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., चंदर उदय सिंह, डेरियस

वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, नवल अग्रवाल, अनुज शर्मा, सुश्री निहारिका, अमन शुक्ला, सुश्री कनिका कलैयारसन (मेसर्स के लिए)। ), सुमित गोयल, तनुज अग्रवाल (मेसर्स के लिए)। पारेख एंड कंपनी), यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री स्वाति कामत, सुश्री पराग राव, सुश्री स्मिता सिंह, सुश्री संजना सादी, सुश्री राग्या वी. सिंह, निनाद लाउड, इवो डी कोस्टा, जयंत मोहन, अभिजीत गोसावी, रोहन शर्मा, करण माथुर, अंजुमन त्रिपाठी, सुमित गोयल, तनुज अग्रवाल (मेसर्स के लिए)। पारेख एंड कंपनी), यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री स्वाति कामत, सुश्री अस्मितासिंह, सुश्री संजना सद्दी, सुश्री राग्या वी. सिंह, निखिल वझे, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, रुद्रेश देसाई, जयंत मोहन, पी. चैतन्यशील, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे. 1. अत्याचारी और व्यापक शोषण

हमारे प्राकृतिक संसाधनों की पहचान हमारे लौह अयस्क खनन क्षेत्र की पहचान है-साथ ही पर्यावरण और खानों के आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए चिंता की पूरी कमी है। खनन पट्टा धारकों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना प्रतीत होता है (चाहे वह कैसे भी हो) और ऐसा लगता है कि यदि कानून के शासन को बैकबर्नर पर रखने की आवश्यकता है, तो ऐसा ही हो। दुर्भाग्य से, राज्य कानून के उल्लंघन और अन्य अवैधताओं को दृढ़ता से रोकने में असमर्थ है, शायद राजस्व को अधिकतम करने की दृष्टि से, लेकिन इस उदासीनता के दीर्घकालिक प्रभाव की सराहना किए बिना। एक अन्य बहाना जो आम तौर पर राज्य द्वारा सामने रखा जाता है, वह है विकास, यह आसानी से भूल जाना कि विकास टिकाऊ और न्यायसंगत विकास होना चाहिए, अन्यथा नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. प्रभावी कार्यान्वयन और कुछ मामलों में खनन और पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन अपने आप में एक त्रासदी है। कानून के शासन के प्रति लापरवाही और सरासर उदासीनता खनन पट्टा धारकों को एक फील्ड डे देती है, जो प्राथमिक लाभार्थी हैं, राज्य के पास रॉयल्टी के रूप में कुछ टुकड़े बचे हैं। राज्य के लिए खनन क्षेत्र के माध्यम से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना और फिर भी टिकाऊ और न्यायसंगत होना

विकास, कार्यान्वयन तंत्र को जबरदस्त मात्रा में मजबूत करने की आवश्यकता है जबकि कानून प्रवर्तन तंत्र को सख्त करने की आवश्यकता है

सतर्कता बरतें। जब तक दोनों शादी नहीं करते, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के मूक गवाह बने रहेंगे और सोचेंगे कि एक अपरिवर्तनीय स्थिति को कैसे पुनर्प्राप्त किया जाए।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम. एम. डी. आर. अधिनियम), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए अन्य नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन में विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के बड़े पैमाने पर अवैध खनन की जानकारी मिली है।

4. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, भारत सरकार ने इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. बी. शाह को एक आयोग के रूप में नियुक्त किया।

22 नवंबर, 2010 की अधिसूचना द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत जांच। गोवा राज्य आयोग के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार थीं:

2. आयोग के संदर्भ की शर्तें होंगी -

( i) लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के अवैध रूप से या वैध अधिकार के बिना किए गए खनन और व्यापार और परिवहन की प्रकृति और विस्तार और उससे होने वाले नुकसान की जांच और निर्धारण करना; और जहां तक संभव हो, ऐसे खनन, व्यापार में लगे व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और अन्य लोगों की पहचान करना।

और अवैध रूप से या वैध प्राधिकरण के बिना किए गए लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का परिवहन;

( (ii) अवैध रूप से या वैध प्राधिकरण के बिना किए गए ऐसे अयस्क के खनन, भंडारण, परिवहन, व्यापार और निर्यात से संबंधित अपराधों को रोकने, रोकने, पता लगाने और दंडित करने में प्रबंधन, नियामक और निगरानी प्रणालियां किस हद तक विफल रही हैं, इसकी जांच और निर्धारण करना और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति; गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

( (ग) अवैध खनन को सुगम बनाने के लिए भूमि और सीमाओं से संबंधित अभिलेखों सहित आधिकारिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की जांच करना और जहां तक संभव हो, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना।

इस तरह की छेड़छाड़; और

( (iv) अवैध रूप से या वैध के बिना किए गए ऐसे खनन, व्यापार, परिवहन और निर्यात के समग्र प्रभाव की जांच करना। वन संपदा के विनाश, पर्यावरण को नुकसान, जनजातीय लोगों, वनवासियों और खनन क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों की आजीविका और अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह और केंद्र और राज्य को हुए वित्तीय नुकसान के संदर्भ में प्राधिकरण

सरकारें।

3. आयोग ऐसे खनन, व्यापार, परिवहन और निर्यात को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों की भी सिफारिश करेगा।

अवैध रूप से या वैध अधिकार के बिना।

5. न्यायमूर्ति शाह ने गोवा का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ खनन पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त की

धारकों, उन्होंने 15 मार्च, 2012 को और दूसरा 25 अप्रैल, 2012 को भारत सरकार के खान मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों को 7 सितंबर, 2012 को संसद में एक कार्रवाई रिपोर्ट के साथ पेश किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, गोवा सरकार ने 10 सितंबर, 2012 को एक आदेश पारित किया जिसमें 11 सितंबर, 2012 से राज्य में सभी खनन कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) ने इसी तरह की कार्रवाई की और 14 सितंबर, 2012 के एक आदेश द्वारा गोवा राज्य में 139 खदानों (वास्तव में 137 खदानें-कुछ दोहराव है) को दी गई पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया। 6. न्यायमूर्ति शाह द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद, गोवा फाउंडेशन द्वारा इस न्यायालय में डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 435 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी।

2012. रिट याचिका एक जनहित याचिका थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ और गोवा राज्य को उन खनन पट्टों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जहां विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हुए खनन किया गया था।

7. इसी तरह, कई खनन पट्टा धारकों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक घोषणा के लिए रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी कि द्वारा दी गई रिपोर्ट न्यायमूर्ति शाह अवैध हैं और 10 सितंबर, 2012 और 14 सितंबर, 2012 के आदेशों को रद्द करने के लिए भी हैं, जिसमें खनन कार्यों को निलंबित कर दिया गया था और पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया गया था।

8 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं को 2012 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 435 के साथ सुनवाई के लिए इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

8. इस न्यायालय ने इन सभी मामलों को सुना और गोवा फाउंडेशन बनाम में अपना निर्णय दिया। 21 अप्रैल 2014 को भारत संघ। 1 अन्य के बीच

इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सभी लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पट्टों की अवधि 22 नवंबर, 2007 को समाप्त हो गई थी।

नतीजतन, खनन पट्टा धारकों द्वारा किया गया कोई भी खनन कार्य

उस तारीख के बाद अवैध था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सभी खनन पट्टा धारकों को खनन पट्टा का पहला मानित नवीनीकरण प्राप्त था और दूसरे नवीनीकरण के लिए एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के संदर्भ में एक स्पष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण के लिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार को अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और खनिज के हित में नवीनीकरण के कारणों को दर्ज करना चाहिए

विकास और खनन पट्टे के नवीनीकरण की आवश्यकता। राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। गोवा राज्य द्वारा किसी विशेष तरीके से या किसी विशेष पक्ष को खनन पट्टा देने के लिए लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जांच की जा सकती है। यह भी माना गया कि आदेश

दिनांक 10 सितंबर, 2012 और 14 सितंबर, 2012 रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और वे तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अनुदान देने के लिए निर्णय नहीं लिया जाता है।

खनन परियोजनाओं के लिए नए पट्टे और नई पर्यावरण मंजूरी।

गोवा खनिज नीति 2013

10. खनिज नीति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। खनिज नीति की प्रस्तावना में कहा गया हैः गोवा की अर्थव्यवस्था जहाँ तक खनिज उद्योग और परिवहन और व्यापार जैसी इसकी संबद्ध गतिविधियों से होने वाली क्षेत्रीय आय का बड़ा हिस्सा है, यह लौह अयस्क उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है।

" हालाँकि, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निम्न श्रेणी के अयस्क की मांग में भारी उछाल के कारण

पिछली नियामक व्यवस्था में अवैधताओं और अनियमितताओं के बाद, राज्य ने नाजुक पारिस्थितिकी के लिए किसी भी चिंता के बिना अराजक और अनियमित खनन के चरम को देखा है

1 1 (2014) 6 एस. सी. सी. 590 गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

और राज्य का पर्यावरण या एक औसत गोवा निवासी के सामान्य कल्याण के लिए। इसके परिणामस्वरूप डंप और टेलिंग जैसे अज्ञात स्रोतों से बड़े पैमाने पर अघोषित अयस्क का निर्यात हुआ है। पिछले पाँच वर्षों में राज्य ने स्थिरता के लिए बिना किसी चिंता के लापरवाही से शोषण देखा है, जिसके गंभीर निहितार्थ हैं। खनिज एक सीमित और गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं और राज्य के व्यापक हित में इनका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए।
अब समय आ गया है कि गोवा के लोगों से अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त करने वाली नई सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खनन पर निर्भरता चरम बाहरीताओं को प्रस्तुत करती है और राज्य को खनिज संसाधनों के व्यवस्थित, वैज्ञानिक और नियोजित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्थायी निष्कर्षण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सावधानी से चलना होगा और खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास के लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के खनिज आधारित विकास को सुव्यवस्थित करना होगा। [ जोर दें।

हमारे द्वारा प्रदान किया गया]।

11. गोवा में प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए पहले से मौजूद 'नीति' के इस गंभीर अभियोग के बावजूद, खनिज नीति ने अपने 20 अनुच्छेदों और कई उप-अनुच्छेदों में से किसी में भी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन या वितरण को संबोधित नहीं किया। खनिज नीति में जिन विषयों पर चर्चा की गई है, उनमें उद्देश्य और मापदंड, टिकाऊ खनन और खनिज संरक्षण, खनिज प्रशासन, खनिज का विनियमन शामिल हैं। खानों और खनिजों, प्रदूषण और इसके सामाजिक प्रभाव और नीति पर प्रकाश डाला गया है। खनिज नीति में जिन कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की गई है, उनमें सार्वजनिक सड़कों की वहन क्षमता पर आधारित सीमा निर्धारण और अंतरराज्यीय सड़कों की सुरक्षा शामिल है

पीढ़ीगत समानता, खान सुरक्षा और प्रभावित लोगों का पुनर्वास, हितधारकों की भागीदारी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सहित), कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारियां और गोवा खनिज की स्थापना

12. लेकिन, पैराग्राफ 1.4 का कुछ महत्व है। 4 और 1.4। 5 खनिज नीति के अनुसार गोवा का लौह अयस्क निम्न श्रेणी का है। जिसमें लौह (या फे) की मात्रा कम होती है और इसका निष्कर्षण कोई या न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन प्रदान नहीं करता है। गोवा में निकाले गए लगभग सभी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और हमें बताया गया कि केवल एक खनन पट्टा धारक गोवा से निकाले गए लौह अयस्क का उपभोग करता है। परिच्छेद 1.4। 4 और 1.4। 5 खनिज नीति का विवरण इस प्रकार हैः

" 1.4. 4 कोई घरेलू मूल्यवर्धन नहीं हैः गोवा के लौह अयस्क की प्रकृति ऐसी है कि घरेलू बाजार में मूल्यवर्धन के अवसर न्यूनतम हैं। चीनी और जापानी लोग लौह अयस्क की औसत लागत को कम करने के लिए सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए गोवा के लौह अयस्क का उपयोग करते हैं, जबकि भारतीय इस्पात उत्पादकों के पास उच्च श्रेणी के लौह अयस्क की एक विस्तृत श्रृंखला है।

पड़ोसी राज्य कर्नाटक, गोवा में संचालन भारतीय इस्पात उद्योग में लौह अयस्क का उपयोग कम होने के कारण नहीं किया जाता है।

संतुष्ट महसूस करें।

1.4. 5 . निम्न श्रेणी बनाम उच्च श्रेणीः गोवा के लौह अयस्क ने हमेशा

ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक की तुलना में यह निम्न श्रेणी के एफ. ई. सामग्री का रहा है। अयस्क का निम्न स्तर रहा है

गैर-निर्भरता के कारण वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा

रेलवे और बंदरगाहों के लिए खदानों की निकट दूरी, जिससे समग्र लागत में कमी आती है। गोवा के अयस्क में उच्च सिलिका की उपस्थिति भी ऑस्ट्रेलियाई और ब्राजील के निम्न श्रेणी के अयस्क की तुलना में गोवा के अयस्क के लिए वरीयता के लिए एक अनुकूल कारक है। [ द्वारा दिया गया जोर

हम]।

13. उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि लौह अयस्क का निष्कर्षण केवल निर्यात के लिए किया जाता है न कि घरेलू उद्देश्यों के लिए क्योंकि

कम फ़े सामग्री और उच्च सिलिका उपस्थिति।

विश्वनाथ आनंद विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

14. न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, एम. ओ. ई. एफ. ने 21 मार्च, 2013 को एम. ओ. ई. एफ. में पूर्व सचिव श्री विश्वनाथ आनंद के रूप में एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई. ए. सी.) का गठन किया।गोवा में अवैध खनन से संबंधित मुद्दों को विशेष रूप से देखने के लिए। ई. ए. सी. की संदर्भ शर्तें इस प्रकार थींः

( क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 14 सितंबर, 2012 के उपरोक्त निर्देश के जवाब में 139 परियोजना प्रस्तावकों में से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेजों की जांच करना ताकि पर्यावरण मंजूरी को स्थगित रखा जा सके।

एम. ओ. ई. एफ. को मामले-दर-मामले की सिफारिशें; ( ख) पर्यावरण मंजूरी के हिस्से के रूप में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करना;

( c) XXX XXX

सहयोगी 137 परियोजना प्रस्तावक-कुछ दोहराव गोवा फाउंडेशन v है।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

( घ) लौह और मैंगनीज अयस्क के अवैध खनन पर न्यायमूर्ति शाह आयोग की रिपोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित टिप्पणियों की जांच करना। गोवा राज्य में और उचित सिफारिशें करें।

15. ई. ए. सी. ने अक्टूबर 2013 में 137 खनन पट्टों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। बहुत संक्षेप में, ई. ए. सी. ने कई खनन पाए

पट्टा धारकों के पास थाः ( i) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से कोई मंजूरी नहीं; या (ii) अतिरिक्त खनन में शामिल; या (iii) डंप खनन में शामिल; या (iv) अंतरित भूजल स्तर; या (v) केंद्र से कोई मंजूरी नहीं।

भूजल बोर्ड द्वारा भूजल की निकासी; या (vi) वनों से निकासी नहीं। हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि ई. ए. सी. ने इसे रद्द करने की भी सिफारिश की थी।

विभिन्न कारणों से कई खनन पट्टा धारकों को पर्यावरण मंजूरी दी गई।

16. खनिज नीति और ई. ए. सी. की रिपोर्ट को शायद गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर रिट याचिका और स्थानांतरित मामलों में अदालत के समक्ष रखा गया था, लेकिन खनिज नीति के संक्षिप्त उल्लेख के अलावा इस पर विचार नहीं किया गया था।

17. न्यायालय के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई काफी व्यापक रूप से की गई।

सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2013। फैसला 11 नवंबर, 2013 को सुरक्षित रखा गया था और 21 अप्रैल, 2014 को सुनाया गया था। हमारी चर्चाओं के लिए प्रासंगिक न्यायालय द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्षों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

18. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि 11 नवंबर, 2013 को 18 नवंबर, 2013 के एक आदेश के साथ पढ़ा गया और इस न्यायालय ने गोवा राज्य से लौह अयस्क की वार्षिक खुदाई की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर एक व्यापक ई. आई. ए. अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

इसके लौह अयस्क संसाधनों और इसकी वहन क्षमता पर विचार करते हुए सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए। विशेषज्ञ समिति के सदस्य

ये थेः

1. डॉ. सी. आर. बाबू (पारिस्थितिकीविद्)

2. डॉ. एस. सी. धीमान (भूविज्ञानी/जल-भूविज्ञानी)

प्रो. बी. के. मिश्रा (खनिज विज्ञानी)

3 .

प्रो. एस. परमेश्वरप्पा (वानिकी)

4 .

श्री परिमल राय (पर्यावरण मंत्रालय के मनोनीत सदस्य)

5 .

और वन, भारत सरकार)।

गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ, (2014) 6 एस. सी. सी. 738 और गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ, 2012 [2018] की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 435 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी), नई दिल्ली (1997); टेरी और अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र, ओटावा, कनाडा (2006); एमओईएफ (2014); गोवा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार किए गए शोध पत्र; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद (2013); प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोवा (वार्षिक रिपोर्ट) और अन्य साहित्य। इसने बड़े पैमाने पर गिरावट का उल्लेख किया खनन कार्यों के कारण गोवा में पर्यावरण। विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 अप्रैल, 2015 को या उसके आसपास न्यायालय को एक अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी-यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं थी।

उच्च न्यायालय में अन्य कार्यवाही

20. इस न्यायालय में लंबित मामलों से बिल्कुल स्वतंत्र, बॉम्बे उच्च न्यायालय में कई खनन पट्टा धारकों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें या तो खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन पर विचार करने या दूसरे नवीनीकरण पर खनन पट्टे के अनुदान के लिए अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं को सुना और 13 अगस्त को अपना फैसला सुनाया, अपने फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय ने खनिज नीति का उल्लेख किया और कहाः

" राज्य सरकार ने गोवा खनिज नीति, 2013 भी तैयार की, जिसे 28 सितंबर, 2013 को विधिवत राजपत्रित किया गया था और इसे रिट याचिका (सी) 435/2012 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा गया था। राज्य सरकार, इस नीति के संदर्भ में, सिद्धांत रूप में, 28 पट्टों के नवीनीकरण पर सहमति व्यक्त की। इन पट्टाधारकों को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था। कुछ मामलों में, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के बाद, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत पट्टों को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया था और उस निर्णय को राजपत्रित भी किया जाता है। इस प्रकार, याचिकाओं को नीचे उल्लिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

( (क) जहाँ आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है।

नवीकरण के लिए निर्णय लेने के बाद;

( ख) जहां नवीनीकरण के लिए निर्णय होता है और वहां मुहर होती है।

संग्रहित शुल्क; और

( ग) जहां नवीनीकरण आवेदन किए गए हैं और अभी भी हैं

लंबित है।

सभी याचिकाकर्ताओं ने शुरू में राज्य को निर्देश देने की मांग की थी सरकार में दायर नवीनीकरण के लिए उनके आवेदनों पर निर्णय लेगी

4 लिथोफेरो वी। गोवा राज्य, एम. ए. एन. यू./एम. एच./1292/2014 = 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 997 द गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

वर्ष 2007। हालांकि, पहली दो श्रेणियों में आने वाली याचिकाओं को बाद में संशोधित किया गया और सरकार के खिलाफ दूसरे नवीनीकरण पट्टे को निष्पादित करने के लिए निर्देश मांगे गए।

कर्म "।

21. अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहाः ( i) इस न्यायालय का निर्णय (गोवा फाउंडेशन में) गोवा राज्य में कोई बाधा नहीं है। खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करना। इसके विपरीत, निर्णय गोवा सरकार पर सभी पर विचार करने का दायित्व डालता है

एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत नवीनीकरण के लिए आवेदन; (ii) आवेदनों पर विचार खनिज नीति, एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए; (iii) इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 67 (82) में आने वाली अभिव्यक्ति 'नए पट्टे' (गोवा फाउंडेशन में) कानून की पुष्टि है कि पट्टे का नवीनीकरण भी एक नया अनुदान है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने एम. पी. बनाम राज्य पर निर्भरता रखी। कृष्णदास टीकाराम। 5

उच्च न्यायालय ने अंततः निर्णय दियाः

" हाथ में मामले में, निश्चित रूप से, सभी याचिकाकर्ताओं ने समय सीमा के भीतर दूसरे नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हैं।

खनन पट्टों के पहले नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति। इसके बाद दूसरे नवीनीकरण के लिए खनन योजनाओं को आई. बी. एम. द्वारा अनुमोदित किया गया। आई. बी. एम. ने अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि भी दर्ज की कि यह खनिज विकास के हित में है। इस प्रकार, अभिलेख पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि सरकार एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण के लिए सहमत हुई और उसके बाद स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किया और कुछ याचिकाकर्ताओं को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया और इसे स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार, सरकार ने वादा किया कि खनन पट्टों को धारा 8 (3) के तहत निष्पादित किया जाएगा और वादे के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने भारी स्टाम्प शुल्क जमा करके अपनी स्थिति बदल दी। इसलिए, अब सरकार के लिए इस वादे से पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सरकार ने इस वादे को रद्द कर दिया है। वचन का सिद्धांत ऐसा करने से रोकता है। याचिकाकर्ताओं को वैध रूप से उम्मीद थी कि स्टाम्प शुल्क के भुगतान के बाद, सरकार धारा के तहत दूसरे पट्टे को निष्पादित करेगी।

5 1995 पूरक (1) एससीसी 587 [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 ( 3 ) एमएमडीआर अधिनियम। हमारी सुविचारित राय में, वचन रद्द करने का सिद्धांत इन तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है -

वर्तमान मामला। सरकार इसे लागू करने के लिए अनिच्छुक है

धारा 8 (3) के तहत पट्टा विलेख केवल इस आधार पर किए जाते हैं कि रिट याचिका (सी) संख्या 435/2012 में शीर्ष अदालत के फैसले के आलोक में ऐसा करने के लिए यह खुला नहीं है। हम पहले ही मान चुके हैं कि रिट याचिका (सी) संख्या 435/2012 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के संदर्भ में पट्टों को निष्पादित करने में सरकार के तरीके में बाधा नहीं है।

22. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किएः

" ( I) प्रत्यर्थी-गोवा राज्य को याचिकाकर्ताओं/पट्टा धारकों के पक्ष में एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत पट्टा विलेखों को निष्पादित करने का निर्देश दिया जाता है, जिन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है।

सरकार के आदेशों के अनुसार मुद्रांक शुल्क,

गोवा खनिज नीति, 2013 के अनुसार जिसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 435/2012 में रखा गया है और उक्त रिट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है।

याचिका.

( II) जहाँ तक उन याचिकाकर्ताओं/पट्टा धारकों का संबंध है जिन्होंने स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया है, प्रतिवादी-गोवा राज्य को धारा के तहत उनके नवीनीकरण आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

8 ( 3 ) , यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर।

23. 13 अगस्त, 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ विशेष अवकाश के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं।

2015 की एसएलपी (सी) संख्या 32138 और एसएलपी (सी) संख्या। 32699-32727 2015 और ये भी हमारे सामने हैं।

गोवा खनन पट्टा अनुदान नीति 2014 24. इस न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, गोवा राज्य ने खनन पट्टा नीति 2014 का गोवा अनुदान तैयार किया। हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सूचित किया गया कि खनन पट्टा नीति के अनुदान को गोवा राज्य मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद द्वारा 1 अक्टूबर, 2014 को मंजूरी दी गई थी। यह 4 नवंबर,

2014 को जारी किया गया था और उसी दिन गोवा सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशालय की वेबसाइट पर रखा गया था। हालाँकि, इसे 20 जनवरी, 2015 को दो गोवा फाउंडेशन v के साथ राजपत्रित किया गया था।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

4 नवंबर, 2014 को जारी किए गए दस्तावेज़ से अनुच्छेद हटा दिए गए। हटाए गए दो पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं।

25. खनन पट्टों का अनुदान नीति कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण और दिलचस्प पठन और इसमें खनन पट्टों की प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया को अस्वीकार करने के लिए एक भावपूर्ण निवेदन शामिल है। इसमें गोवा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान भी शामिल है। हालांकि खनन पट्टा नीति का अनुदान एक बड़ा दस्तावेज है, लेकिन इसके प्रासंगिक उद्धरणों को पढ़ना आवश्यक है क्योंकि यह उन कारकों को इंगित करता है जो नीतिगत निर्णय लेने में लगे थे और यह भी समझते हैं कि क्या संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन हुआ था। संबंधित उद्धरण निम्नानुसार हैं:

पृष्ठभूमि. में निहित निर्देशों के अनुसार

2012 की रिट याचिका (सिविल) No.435 में 21 अप्रैल, 2014 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि गोवा राज्य में सभी खनन पट्टों की अवधि 22 नवंबर, 2007 को समाप्त हो गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह निर्देश दिया गया है कि यह राज्य सरकार को नीतिगत मामले के रूप में तय करना है कि किस तरह से खनन पट्टे दिए जाने हैं।

भविष्य।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 21 अप्रैल, 2014 के अपने निर्णय और आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 2007 से 2012 तक मानित विस्तार के आधार पर खदानों को चलाने की अनुमति देने की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी और आगे घोषणा की है कि गोवा राज्य में तथाकथित मानित खनन पट्टों की अवधि वर्ष 2007 में समाप्त हो गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से कुछ बातें सामने आती हैं। सबसे पहले यह माना गया है कि खनन पट्टों की अवधि वर्ष 2007 में समाप्त हो गई थी। दूसरे स्थान पर राज्य

सरकार को इसके अनुसार निर्देश दिया गया है

इनके साथ, राज्य सरकार के पास उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: राज्य सरकार पट्टों की सीधे नीलामी कर सकती है ताकि पट्टों के अनुदान के लिए सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किया जा सके।

एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, [2018] 2 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( क) राज्य सरकार एक राज्य निगम भी बना सकती है और राज्य खनिज के माध्यम से खनन गतिविधियों का संचालन कर सकती है।

विकास निगम।

( ख) राज्य सरकार भी नया अनुदान देने के लिए आगे बढ़ सकती है।

कुछ व्यक्तियों को पट्टों के अधिमान्य अनुदान की प्रक्रिया का पालन करते हुए एम. एम. आर. डी. अधिनियम के संदर्भ में पट्ट

जैसा कि एम. एम. आर. डी. अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

( ग) राज्य सरकार के पास उपलब्ध एक अन्य विकल्प नवीकरण आवेदनों पर निर्णय लेना था जो तब से लंबित थे।

वर्ष 2006 और जो बिना किसी निपटान के रहा था।

उपर्युक्त विधियों में से प्रत्येक के अपने गुण और दोष हैं।

जबकि राज्य सरकार विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया में थी

विभिन्न स्तरों पर इन सभी मुद्दों पर, कुछ पट्टा द्वारा दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश

धारकों को 13 अगस्त, 2014 को वितरित किया गया, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने एम. एम. आर. डी. अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत पट्टा धारकों के पक्ष में पट्टा विलेखों के निष्पादन का निर्देश दिया है, जिन्होंने पहले ही गोवा खनिज नीति, 2013 के अनुसार राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है और शर्तों के अधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय और आदेश वस्तुतः राज्य सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ता है, जिससे राज्य को सर्वोत्तम राजस्व अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बिस्तर (बोली) की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। सरकार। जबकि गोवा खनिज नीति, 2013 में राज्य सरकार द्वारा यह रुख अपनाया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय के आदेश की व्याख्या की है।

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) No.435/2012 में, राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए,

बोली लगाते हैं। राज्य सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों और कार्यों के भीतर, नियामक और नियंत्रण उपायों के साथ आने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित रिटर्न लगाने और एकत्र करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जिसमें भूमि शामिल है वह राज्य की है। राज्य सरकार ने गोवा फाउंडेशन v की जांच भी शुरू कर दी है।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 37 और 38 के तहत मामलों के उल्लंघन में, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

जैसा कि उपरोक्त से देखा जाता है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश एक हस्तक्षेपकारी परिस्थिति है क्योंकि यह 28 मामलों में पट्टा विलेखों के निष्पादन का निर्देश देता है और

खनन कार्यों की शुरुआत। वास्तव में, राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खनन क्षेत्र से आता है। राज्य को लगभग धन की कमी हो गई है। इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल परियोजनाओं सहित कई गतिविधियों को शुरू करना और खनन कार्य को रोकने के कारण राज्य को कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक से कोई राजस्व नहीं आया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने माननीय के निर्देशों के अनुसार कार्य करना उचित समझा।

उच्चतम न्यायालय समानताओं, जरूरतों को संतुलित करके; साथ ही सार्वजनिक हित की उप-सेवा करके और पारिस्थितिक और अन्य सभी कारकों की रक्षा करके सतत विकास करके।

नीतिगत ढांचा। -- राज्य सरकार ने किया है

पूरे मामले पर विचार करना और विचार-विमर्श करना, और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसे उचित माना किः

( क) खनन पट्टा धारकों ने समय के भीतर दूसरे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था।

( ख) यह तथ्य कि द्वितीय नवीकरण के लिए खनन पट्टा धारकों के आवेदनों का तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा निपटारा नहीं किया गया था और जिसके लिए पट्टा धारकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

( ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खनन कार्य बंद होने के बावजूद 27 खनन पट्टा धारकों ने, जब राज्य द्वारा अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है, तो मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया है; साथ ही, अन्य शुल्क भी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( च) संबंधित खनन पट्टा धारकों ने खानों के विकास के साथ-साथ रिपर डोजर, क्रेन, व्हील लोडर, लाभप्रद संयंत्र आदि जैसी मशीनरी में भी भारी निवेश किया है। ( छ) ऊपर सूचीबद्ध सदन में माननीय मुख्यमंत्री के बयान में सूचीबद्ध विभिन्न कारणों से अन्य तरीके इस तरीके के रूप में उपयुक्त नहीं हैं।

राज्य सरकार ने इस मामले पर हर संभव दृष्टिकोण से विचार करने के बाद अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

खान और खनिज विनियम और विकास अधिनियम, 1957 की धारा 8 (3) और प्रत्येक मामले पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार करना और सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों सहित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन, और उसके बाद उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करते हुए एम. एम. आर. डी. अधिनियम, 1957 की धारा 8 (3) के संदर्भ में नवीनीकरण पर निर्णय लेना।

यद्यपि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से एम. एम. आर. डी. अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत पट्टे के नवीनीकरण के मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया है, लेकिन यह निम्नलिखित के अधीन होगाः

जब तक और जब तक निर्णय के अनुसार जांच शुरू नहीं की जाती

और उन खदान पट्टा धारकों के खिलाफ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 37 या नियम 38 का उल्लंघन करते पाए गए हैं, या अन्यथा न्यायमूर्ति शाह आयोग/पी. ए. सी. की रिपोर्ट में अभ्यारोपित पाए गए हैं या अयस्क की अवैध बिक्री, अयस्क के बिना रॉयल्टी चालान की बिक्री, पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट सीमा से अधिक उत्पादन पर पट्टे के बाहर आस-पास के क्षेत्रों का अतिक्रमण जैसे किसी भी प्रकार की अवैधता में शामिल पाए गए हैं; जिन्होंने ऐसा किया है। अवैज्ञानिक खनन कार्य; जिन्होंने रॉयल्टी राशि का उल्लंघन किया है या भुगतान नहीं किया है; जिन्होंने धोखाधड़ी के लिए पुराने रॉयल्टी चालान का पुनः उपयोग किया है; और अवैध खनन में शामिल लोग।

खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए गतिविधियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

इस उद्देश्य के लिए, वर्तमान में विभिन्न स्तरों और मंचों पर जांच चल रही है, जिसमें एस. आई. टी. दल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित चार्टर्ड एकाउंटेंटों की टीम द्वारा और जांच पूरी होने के बाद या जांच के दौरान, जहां यह पाया जाता है कि कोई भी

जिसमें श्री के संदर्भ में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है। न्यायमूर्ति शाह जांच/लोक लेखा समिति की रिपोर्ट,

नवीनीकरण के लिए विचार किया जाएगा। [ राजपत्र से हटा दिया गया

नीति)।

संपूर्ण नीति के गठन का उद्देश्य यह है कि

के सिद्धांत के संबंध में विभिन्न हितों को संतुलित करना

सतत विकास; लेकिन अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के वाणिज्यिक हित, श्रमिक वर्ग के हित, अन्य कर्मचारियों सहित श्रमिक वर्ग के हित, खनन क्षेत्रों में बाजार के हित, सार्वजनिक क्षेत्र के हित, मौजूदा खनन पट्टा धारकों के हित और राज्य की समग्र कल्याण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए; और सभी तत्काल आवश्यकताओं की आवश्यकता है।

अवसंरचना विकास। इन सभी हितों को संतुलित करके राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नीति तैयार की गई है।

सरकार और सटीक कानूनी के लिए जांचा जाएगा विशिष्ट आवश्यकताओं से भी आवश्यकताएँ

वित्तीय दृष्टिकोण इंगित करता है और उसके बाद अधिसूचित किया जाता है। [ राजपत्रित नीति से हटा दिया गया]। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

26. इस समय के आसपास, और द्वारा दिए गए बजट भाषण के अनुसार

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने 10 जुलाई, 2014 को ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा रहे थे।

भारत सरकार में एम. एम. डी. आर. अधिनियम में संशोधन करने के लिए। वास्तव में एक मसौदा

6 एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोडम्ग। गव. / अपलोड/288 में। पीडीएफ 7 122 "। मेरी सरकार का इरादा खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का त्याग किए बिना उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। लौह अयस्क खनन सहित खनन क्षेत्र में मौजूदा गतिरोध को तेजी से हल किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो इसे सुगम बनाने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में परिवर्तन किए जाएंगे। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2014 को 16 नवंबर, 2014 को या उसके आसपास संपादित किया गया था और 17 नवंबर, 2014 को खान मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। यह जानकारी हमारे सामने लोकसभा में दिसंबर, 2014 में दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2485 के माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से थी। सवाल यह थाः

( क) क्या सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके विभिन्न खनिजों के लिए खनन पट्टों के अनुदान पर एक नई नीति तैयार करने का प्रस्ताव करती है;

( (ख) यदि हां, तो नई नीति के लागू होने के समय के साथ-साथ उसका विवरण;

इसका जवाब थाः

( ए) और (बी): हां मैडम। मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम. एम. डी. आर.) (संशोधन) विधेयक, 2014 का मसौदा तैयार किया है, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर 17.11.2014 पर अपलोड किया गया है, जिसमें मसौदा विधेयक पर टिप्पणियों/सुझावों का आह्वान किया गया है। टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2014 है। प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा और पेश करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

संसद में। विधेयक को निम्नलिखित के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए बनाया गया हैः ( i) खनिज संसाधनों के आवंटन में बेहतर पारदर्शिता; (ii) ऐसे संसाधनों के मूल्य में सरकार के लिए उचित हिस्सा प्राप्त करना; (iii) निजी निवेश और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; और (iv) प्रशासन में देरी को समाप्त करना, ताकि देश के खनिज संसाधनों का त्वरित और इष्टतम विकास किया जा सके।

27. प्रस्तावित संशोधनों की प्रकृति क्या थी? जहाँ तक संबंध है, एमएमडीआर अधिनियम में धारा 10 बी की शुरूआत

प्रतिस्पर्धी बोली के लिए एनजी) महत्वपूर्ण है और यह पढ़ता हैः

" अधिसूचित खनिजों के लिए खनन पट्टे

10 बी. ( 1 ) इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, लेकिन धारा 10 ए और धारा 17 ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस भूमि के संबंध में अधिसूचित खनिजों के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, इस धारा में निर्धारित की जाएगी।

( 4 ) किसी के संबंध में खनन पट्टा देने के उद्देश्य से ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित खनिज, राज्य सरकार

प्रतिस्पर्धी बोली की एक विधि द्वारा नीलामी के माध्यम से चयन करें,

ई-नीलामी सहित, एक आवेदक जो पात्रता को संतुष्ट करता है

शर्तें।

( 5 ) केंद्र सरकार शर्तें निर्धारित करेगी और

शर्तें और प्रक्रिया, जिसके अधीन नीलामी होगी

जिसमें खनिज के उत्पादन में एक हिस्सा शामिल हो सकता है, या देय रॉयल्टी से जुड़ा कोई भुगतान, या कोई अन्य प्रासंगिक भुगतान

पैरामीटर, या उनका कोई संयोजन या संशोधन। ( 6 ) और (7) "

[ लौह अयस्क को मसौदा कानून में एक अधिसूचित खनिज के रूप में प्रस्तावित किया गया था]।

28. 4 नवंबर, 2014 के तुरंत बाद (जिस तारीख को

खनन पट्टा नीति की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी

गोवा सरकार) राज्य सरकार ने 5 नवंबर, 2014 से खनन पट्टों का दूसरा हिस्सा देना शुरू किया और यह काम 12 जनवरी, 2015 को पूरा किया गया। निम्नलिखित तालिका में 12 जनवरी, 2015 को या उससे पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए 88 खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण की तारीखें दी गई हैं:

श्री. नहीं। नवीकरण आदेश की तिथि

नवीनीकरण की संख्या

आदेश पारित किए गए

1 .

5

5.11.2014

5

6.11.2014

2 .

3 .

3

7.11.2014

4 .

10.12.2014

3

5 .

10

24.12.2014

6 .

1.1.2015

3

7 .

3

2.1.2015

5.1.2015

8 .

2

9 .

6.1.2015

22

9.1.2015

1

10 .

11 .

12.1.2015

29. 12 जनवरी, 2015 की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तारीख को राष्ट्रपति ने खानों और खनिजों (विकास और खनिज) की घोषणा की थी। विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था) जिसके तहत अधिसूचित खनिजों के लिए खनन पट्टों का अनुदान प्रतिस्पर्धी बोली या नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से था। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अध्यादेश की मंजूरी 5 जनवरी, 20158 को सार्वजनिक हो गई थी

और यह उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर है कि गोवा सरकार ने 25 खनन पट्टों को दूसरा नवीनीकरण दिया और मामले को बदतर बनाने के लिए,

12 जनवरी, 2015 को 31 खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण किया गया था, जिस दिन अध्यादेश लागू हुआ था और कुल 56 खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया था।

20 मार्च, 2015 को पर्यावरण मंजूरी और आदेश

30. 88 खनन पट्टों के नवीनीकरण के बाद, गोवा राज्य ने पर्यावरण मंत्रालय से 7 जनवरी, 2015 और 5 फरवरी, 2015 के पत्रों के माध्यम से 14 सितंबर, 2012 के स्थगन आदेश को हटाने का अनुरोध किया।

पर्यावरण मंजूरी। नतीजतन, एमओईएफ ने 20 मार्च, 2015 को तीन आदेश पारित किए (आदेशों का वास्तविक क्रम बहुत स्पष्ट नहीं है)।

31. 20 मार्च, 2015 का पहला आदेश प्रधान सचिव, पर्यावरण, गोवा सरकार को संबोधित एक पत्र के रूप में था

केंद्रीय भूजल बोर्ड; (v) जहां आवश्यक हो वहां कोई वन मंजूरी प्राप्त नहीं की गई; (vi) अतिक्रमण और गलत जानकारी/तथ्य को छिपाना। यह कहा गया था कि एमओईएफ ने मामलों को संदर्भित करने का निर्णय लिया था 8 एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आज के दिन। / वर्तमान/अर्थव्यवस्था-राजनीति/नरेंद्र-मोदी-मंत्रिमंडल ने-अध्यादेश-खानों के लिए-नीलामी/कहानी/214253 को मंजूरी दी। एच. टी. एम. एल

HTTPS: //टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियाटाइम्स। कॉम/बिजनेस/इंडिया-बिजनेस/कैबिनेट ने अध्यादेश-खानों के लिए-नीलामी/आर्टिकल्सशो/45765290 को मंजूरी दी

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. फाइनेंशियल एक्सप्रेस। कॉम/अर्थव्यवस्था/सुधार-कैबिनेट-अनुमोदन-समन्वय-खानों के लिए-नीलामी/26342 / एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. लाइवमिंट। com/राजनीति/VDXphnUmPYGbN4lmzEBslK/सरकार-पारित कार्यकारी-आदेश-से-नीलामी-खनिज।

एच. टी. एम. एल. द गोवा फाउंडेशन वी. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

उल्लंघनों पर कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी (राज्य सरकार सहित)। तदनुसार, ई. ए. सी. की रिपोर्ट की जांच करने और संबंधित पट्टेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

32. 20 मार्च, 2015 को पारित दूसरा आदेश एक कार्यालय था

इस आशय का ज्ञापन कि यदि किसी परियोजना प्रस्तावक के पास 27 जनवरी, 1994 (ई. आई. ए. 1994) की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना या 14 सितंबर, 2006 (ई. आई. ए. 2006) की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत किसी खनन परियोजना के लिए वैध और मौजूदा पर्यावरण मंजूरी है, तो खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय उसे नई पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह खनन पट्टे के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए 30 साल की वैधता की अधिकतम अवधि के अधीन था।

33. उठाने से संबंधित तीसरा आदेश 20 मार्च, 2015 को पारित किया गया था

लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के लिए खनन पट्टों की पर्यावरणीय मंजूरी पर 14 सितंबर, 2012 का स्थगन आदेश। उन सभी 139 खनन पट्टों के मामले जिनमें स्थगन आदेश पारित किया गया था।

विचार किया गया और 72 मामलों के संबंध में स्थगन आदेश हटा लिया गया। इस संबंध में विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः

शेष

है।

| संख्या | | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | | कुल खदानें = 139 |
| | अनजाने में पुनरावृत्ति | |
| 2 | | |
| 137 | | |
| | पहले ही वापस ले लिया गया है | |
| 135 | | |
| 2 | | |
| | पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र में स्थित (प्रतिबंध) | |

12

123

आदेश नहीं उठाया जा सकता)

आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र में स्थित (प्रतिबंध)

117

6

आदेश नहीं उठाया जा सकता)

1 किमी के भीतर। संरक्षित क्षेत्र (प्रतीक्षा में)

23

94

पारित 4.8.2006 दिनांकित आदेश का संशोधन

इस न्यायालय द्वारा)

वन मंजूरी और वसीयत नहीं होना

72

22

मंजूरी मिलने के बाद ही विचार किया जाए

प्राप्त किया

पर्यावरण मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है

37

35

ज्ञापन दिनांकित 20.3.2015।

स्थगन आदेश हटा लिया गया।

पर्यावरण मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है

37

14.9.2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत।

स्थगन आदेश हटा लिया गया।

139 [2018] 2 एस. सी. आर. में से 72 खदानों के लिए 20 मार्च, 2015 को स्थगन आदेश हटा लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. 20 मार्च, 2015 के तीसरे आदेश में स्थगन आदेश को हटाते समय कुछ अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें भी रखी गईं। ये अतिरिक्त शर्तें थीं:

1. गोवा राज्य सरकार नियमित रूप से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र विकसित और लागू करेगी कि गोवा राज्य में खनन पट्टों पर 20 एम. टी. पी. ए. की सीमा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 21.04.2014 के आदेश और गोवा फाउंडेशन के मामले में किसी भी आगे के आदेश के अनुसार लागू किया जाए।

बनाम। 2012 के डब्ल्यू. पी. 435 में भारत संघ।

2. वन भूमि में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके लिए एफ. सी. [वन]

निकासी] उपलब्ध नहीं है।

3 . डंप्स के खनन की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि इसमें उल्लेख न हो।

अनुमोदित खदान योजना और पर्यावरण मंजूरी पत्र।

4 . खदान पट्टे के बाहर सामग्री को फेंकने की अनुमति नहीं है जब तक कि अनुमोदित खदान योजना और पर्यावरण मंजूरी पत्र में इसका उल्लेख न हो।

5 . भूमिगत जल की निकासी और भूजल स्तर के प्रतिच्छेदन के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए

जैसा लागू होता है।

6. उल्लंघन करने वालों से मौजूदा कानून के अनुसार निपटा जाएगा और

ई. सी. के स्थगन से उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. यदि भविष्य में कोई उल्लंघन देखा जाता है तो पर्यावरण मंजूरी

नियमों के अनुसार रद्द किया जाएगा।

8. राज्य सरकार के तहत उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करेगी

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15/19 जैसा कि ई. ए. सी. रिपोर्ट में उल्लिखित और अनुशंसित है।

9. परियोजना प्रस्तावक क्षेत्रीय कार्यालय में छह मासिक अनुपालन दाखिल करेगा।

अधिकारी, एमओईएफसीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विचार के लिए प्रश्न

35. मोटे तौर पर, प्रस्तुतियों के आधार पर और

हमारे सामने रखे गए दस्तावेज, गोवा फाउंडेशन, गोवा राज्य, भारत संघ और खनन पट्टा धारकों द्वारा उठाए गए प्रश्न तीन गुना हैंः ( क) खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण से संबंधितः ( i) गोवा फाउंडेशन के निर्णय को देखते हुए केवल नए पट्टे दिए जाने थे।

गोवा राज्य द्वारा और दूसरा नवीनीकरण नहीं। ( ii) नए पट्टे देने के लिए, गोवा राज्य को प्रतिस्पर्धी बोली या गोवा फाउंडेशन v की शुरुआत करनी चाहिए थी।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

नीलामी प्रक्रिया। ( iii) दूसरा नवीनीकरण देने का निर्णय लेना।

खनन पट्टा धारकों के लिए वैध था, दूसरा नवीनीकरण कानून के अनुसार नहीं था और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

( ख) पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने से संबंधितः गोवा फाउंडेशन के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नई पर्यावरण मंजूरी दी गई

खनन पट्टा धारकों द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

( ग) 13 अगस्त, 2014 को लिथोफेरो में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश गलत था और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

क्या नए खनन पट्टे दिए जाने की आवश्यकता थी?

36. इस संबंध में विवाद इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुआ है कि

गोवा फाउंडेशन में निर्णय के पैराग्राफ 82 में कहा गया है। इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

" जैसा कि हमने माना है कि गोवा में पट्टेदारों के मानित खनन पट्टों की अवधि 22-11-1987 पर समाप्त हो गई है और गोवा में मानित खनन पट्टों के नवीनीकरण की अधिकतम अवधि (20 वर्ष) भी 22-11-2007 पर समाप्त हो गई है, गोवा में पट्टेदारों द्वारा 22-11-2007 के बाद खनन अवैध था। इसलिए, गोवा सरकार का दिनांकित 10-9-2012 आदेश गोवा राज्य में खनन कार्यों को निलंबित कर रहा है और

एमओईएफ, भारत सरकार का दिनांकित 14-9-2012 आदेश,

गोवा राज्य में खदानों को दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित करना, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं में विवादित किया गया है, गोवा पीठ (इस न्यायालय में स्थानांतरित और स्थानांतरित मामलों के रूप में दर्ज) को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा। का आदेश दिनांकित 10.9.2012

गोवा सरकार और एम. ओ. ई. एफ. के दिनांकित 14.9.2012 आदेश को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नए पट्टे देने और निर्णय लेने के लिए निर्णय नहीं लिए जाते।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नई पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए लिया गया कदम

खनन परियोजनाओं के लिए। " [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

37. हमारे समक्ष चर्चा के लिए जो मुद्दा उठा वह 'नए पट्टे' देने के संदर्भ में न्यायालय का अर्थ और इरादा था।

खनन परियोजनाएं। क्या अदालत का शाब्दिक अर्थ यह था कि एक नया खनन पट्टा देने की आवश्यकता थी या दूसरा नवीनीकरण पर्याप्त था?

अनुपालन? 38. जैसा कि उपरोक्त उद्धृत अनुच्छेद इंगित करता है, न्यायालय इस तथ्य से अवगत और सचेत था कि खनन पट्टों की अवधि 22 [2018] 2 एस. सी. आर. को समाप्त हो गई थी।

नवंबर, 2007 और उसके बाद खनन पट्टा धारकों द्वारा किया गया खनन कार्य अवैध था। इस कारण से, अदालत ने कहा कि गोवा राज्य द्वारा 10 सितंबर, 2012 को पारित निलंबन आदेश और 14 सितंबर, 2012 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारित स्थगन आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

39. चूंकि खनन कार्य 22 नवंबर के बाद किया गया था,

2007 न्यायालय ने निर्णय के बाद के अनुच्छेदों में (अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में) उल्लेख किया कि 5 अक्टूबर, 2012 को न्यायमूर्ति शाह आयोग द्वारा पहचाने गए पट्टों से लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के परिवहन को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया था। इसके बाद 11 नवंबर, 2013 को यह निर्देश दिया गया कि उत्खनन किए गए खनिज अयस्कों और आविष्कार किए गए खनिज अयस्कों की एक सूची बनाई जाए और एक निगरानी समिति की देखरेख में ई-नीलामी द्वारा बेची जाए। 10

40. इसके अलावा, अदालत ने 21 अप्रैल, 2014 को यह निर्णय दिया था कि खनिज अयस्कों की ई-नीलामी बिक्री से खनन पट्टा धारक निष्कर्षण की औसत लागत (वास्तविक लागत नहीं) के हकदार होंगे, श्रमिक 50 प्रतिशत मजदूरी और मुआवजे के सिद्धांत पर भत्तों के हकदार होंगे और मर्मगाओ पोर्ट ट्रस्ट भंडारण शुल्क के 50 प्रतिशत का हकदार होगा। शेष राशि में से 10 प्रतिशत गोवा के लौह अयस्क स्थायी कोष में सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी के उद्देश्य से विनियोजित किया जाएगा और शेष राशि राज्य द्वारा विनियोजित की जाएगी जो खनन पट्टा धारकों द्वारा अवैध रूप से खुदाई किए गए खनिज अयस्कों का मालिक है और ई-नीलामी द्वारा बेचा जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अनुच्छेद 87.5 में घोषित किया

रिपोर्टः

" यह राज्य सरकार को तय करना है कि

किस तरीके से खनन पट्टे दिए जाने हैं, यह नीति भविष्य लेकिन निर्णय की संवैधानिकता या वैधता

न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की जाँच की जा सकती है -

न्यायिक समीक्षा की इसकी शक्ति। ” [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

इसके बाद अदालत ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 88.4 में निर्देश दिया था।

इस प्रकार हैः

" राज्य सरकार लौह अयस्क के खनन पट्टे दे सकती है

और गोवा में उसके नीतिगत निर्णय के अनुसार अन्य अयस्क और

गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ, 2012 का डब्ल्यू. पी. (सी) 435-आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 10 गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ, (2014) 6 एस. सी. सी. 738 गोवा फाउंडेशन बनाम।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप। [
हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

41. न्यायालय स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत था कि वह खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण से संबंधित था और फिर भी उसने तथ्यात्मक स्थिति को दोहराने, एक घोषणा करने और एक निर्देश पारित करने का विकल्प चुना

खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण की संभावना पर ध्यान दिए बिना। अदालत इस बात से भी अवगत थी कि खनन पट्टा धारकों ने लगभग पांच वर्षों (नवंबर 2007 से सितंबर 2012 तक) तक अंधाधुंध और अवैध खनन किया था और अवैध खनन से लाभ कमाया था। अदालत, हमारी राय में, खनन पट्टा धारकों को उनके द्वारा किए गए अवैध खनन के लिए दंडित नहीं करने में धर्मार्थ थी। लेकिन चाहे जो भी हो, सितंबर 2012 के बाद की घटनाओं का क्रम, अवैध रूप से खनन किए गए अयस्क के निपटारे के लिए एक निगरानी समिति की नियुक्ति, घोषणा और निर्देश स्पष्ट रूप से पट्टे धारकों द्वारा अवैध खनन के घटिया अध्याय को समाप्त करने और एक साफ स्लेट पर शुरू करने के न्यायालय के इरादे की ओर इशारा करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो,

हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने वास्तव में गोवा राज्य को कानून के अनुसार नए पट्टों के अनुदान पर विचार करने का इरादा किया था। 42. इस संदर्भ में, रिपोर्ट के पैराग्राफ 87.5 में गोवा फाउंडेशन में अदालत की घोषणा भी काफी स्पष्ट है, अर्थात्, "यह राज्य सरकार को नीति के रूप में तय करना है कि भविष्य में खनन पट्टों को किस तरह से दिया जाना है।" घोषणा स्पष्ट थी और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित थी न कि दूसरे नवीनीकरण से।

43. इसी तरह, रिपोर्ट के पैराग्राफ 88.4 में दिया गया निर्देश कि "राज्य सरकार लौह अयस्क के खनन पट्टे दे सकती है और

मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर 2014 की आई. ए. संख्या 86 के माध्यम से वापस बुलाया जाए। आवेदक ने अधिकारियों को 22 नवंबर, 2007 से पहले खनन किए गए लौह अयस्क की ई-नीलामी से रोकने के निर्देश के लिए अनुरोध किया। और यह कि खनन किए गए अयस्क को निपटाने के अधिकार के साथ आवेदक को जारी किया जाना चाहिए। तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ (गोवा फाउंडेशन का फैसला करने वालों के अलावा) ने कहा किः " आवेदक की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियाँ केवल इस आधार पर की गई थीं -

दावा, कि खनिज अयस्क जिस पर आवेदक अधिकार का दावा कर रहा था [2018] 2 एस. सी. आर.

ऊपर, वैध रूप से 22.11.2007 से पहले खनन किया गया था, और इसलिए, आवेदक का उस पर पूर्ण और वैध स्वामित्व था। हम ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त स्थिति पर जोर दिया गया था, जोर दिया गया था और स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए लगातार दोहराया गया था। विद्वान न्यायाधीशों ने प्रस्तुतियों पर विचार किया और 14 अक्टूबर, 2014 के एक आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि गोवा फाउंडेशन में निर्देश स्पष्ट और स्पष्ट था कि लौह अयस्क राज्य सरकार में निहित था और इसलिए आवेदन खारिज होने योग्य था। दूसरे शब्दों में, खनन पट्टा धारकों को अवैध खनन के लिए कोई अधिकार नहीं था और सभी मुद्दों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता थी।

45. इस विचार का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सामग्री है कि न्यायालय का इरादा गोवा राज्य को नए खनन पट्टे देने के बजाय देने का था। दूसरा नवीनीकरण प्रदान करें।

46. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिथोफेरो (2015 की एसएलपी (सी) संख्या 32138 और एसएलपी (सी) संख्या में दिए गए निर्णय को पढ़ने से। 32699-32727 2015 का) यह स्पष्ट है कि गोवा राज्य ने गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय को समझ लिया था जिसका अर्थ था कि गोवा राज्य द्वारा अभी तक बनाई जाने वाली नीति के आधार पर नए खनन पट्टों को दिए जाने की आवश्यकता थी और दूसरे नवीनीकरण का मुद्दा विचार में नहीं रहा। इस संबंध में गोवा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता का तर्क उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया है:

" विद्वान महाधिवक्ता (गोवा राज्य के) ने हमें रिट याचिका (सी) 435/2012 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से लिया और पैरा 67,68,69 और 70 में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया। विद्वान महाधिवक्ता

प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि गोवा में पट्टेदारों के मानित खनन पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है

22 नवंबर, 1987 और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत गोवा में मानित खनन पट्टों की अधिकतम 20 साल की नवीकरण अवधि, जिसे एम. सी. नियमों के नियम 24-ए के उप नियम 8 और 9 के साथ पढ़ा जाता है, 22 नवंबर, 2007 को समाप्त हो गई। विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय, खनन पट्टों के नवीनीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, यह राज्य सरकार पर है कि वह उस नीति के अनुसार नए पट्टे प्रदान करे जो गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

अभी तय किया जाना बाकी है। विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) 435/2012 को लंबित रखा है और इसलिए, यह याचिकाकर्ताओं पर है कि वे सर्वोच्च न्यायालय का रुख करें और उचित आदेश प्राप्त करें। विद्वान।

महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जिन आदेशों पर भरोसा करते हैं, वे अधिक से अधिक दर्शाते हैं कि सरकार सैद्धांतिक रूप से 20 साल की और अवधि के लिए पट्टों के नवीनीकरण के लिए सहमत हो गई है और यह अंतिम निर्णय नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शीर्ष के उक्त निर्णय के संदर्भ में

न्यायालय, यह राज्य सरकार पर है कि वह एक नया ढांचा तैयार करे

खनन नीति और उसे तैयार करने के बाद, अनुदान देने का निर्णय लेना।

नए खनन पट्टों का "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

47. विद्वान महाधिवक्ता और विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत था कि गोवा राज्य ने 28 खनन पट्टों को सैद्धांतिक रूप से दूसरा नवीनीकरण दिया था और 27 खनन पट्टों (संभवतः 28 खनन पट्टों में से) से नवीनीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क एकत्र किया था, जैसा कि इस न्यायालय में गोवा राज्य द्वारा दायर संक्षिप्त विवरण में कहा गया है। उच्च न्यायालय ने कहाः

( II) गोवा राज्य द्वारा प्रस्तुत और उच्चतम न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए संक्षिप्त विवरण में, रिट याचिका (सी) 435/2012 में, यह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार उल्लिखित हैः

" ... वर्तमान में गोवा राज्य में, यह पाया गया है कि नवीकरण के लिए आवेदन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 24 ए द्वारा विचार किए गए समय के भीतर दायर किए गए थे। वर्तमान में, राज्य ने सैद्धांतिक रूप से दिए गए 28 खनन पट्टों के नवीनीकरण का आदेश दिया है

अनुमोदन और 27 से नवीकरण शुल्क/स्टाम्प शुल्क एकत्र किया है

खनन पट्टे "।

48. दूसरे शब्दों में, 28 खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण और नवीनीकरण शुल्क या स्टाम्प के संग्रह के सिद्धांत अनुदान के बावजूद

कर्तव्य, गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय ने गोवा राज्य को नए पट्टे देने के लिए सचेत रूप से आवश्यक किया। समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि गोवा राज्य ने भी न्यायालय के निर्णय को उसी तरीके से समझा और उस आधार पर कार्य करने का इरादा है।

49. दुर्भाग्य से, गोवा राज्य उन घटनाओं से आगे निकल गया जब उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को लिथोफेरो में अपना फैसला सुनाया।

2014 और ऐसा करते समय, इसने [2018] 2 एस. सी. आर. को गलत समझा या गलत तरीके से सराहा।

गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय का निर्णय और गोवा राज्य के दृष्टिकोण से असहमत था। जबकि इस न्यायालय ने गोवा राज्य से नए खनन पट्टे देने की अपेक्षा की थी और गोवा राज्य इस निर्देश का पालन करने के लिए तैयार था, उच्च न्यायालय ने इसके बजाय इसे उन लोगों के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत खनन पट्टों को निष्पादित करने का निर्देश दिया जिन्होंने नवीनीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया था। उच्च न्यायालय ने गोवा राज्य को एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के प्रावधानों (संभवतः 21 फरवरी, 2013 के सरकारी आदेश के संदर्भ में नवीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद) को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की अवधि के भीतर उनके लंबित दूसरे नवीकरण आवेदनों पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के फैसले के बारे में उच्च न्यायालय की समझ पूरी तरह से गलत है।

50. खनन पट्टा अनुदान नीति की विषय-वस्तु से यह प्रतीत होता है कि गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए राज्य कई कारकों पर विचार करते हुए नए खनन पट्टा देने की नीति पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा था। लेकिन निर्णय और दिशा-निर्देश

राज्य के अनुसार, उच्च न्यायालय ने राजस्व अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से नए खनन पट्टों के अनुदान की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ने और परित्याग को उचित ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा।

51. खनन पट्टा अनुदान नीति के अनुसार, गोवा राज्य के सामने दो वास्तविक विकल्प थेः ( (i) निर्णय को लागू करना।

और गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय का आदेश (जैसा कि गोवा राज्य द्वारा समझा गया है) और उचित महसूस किए गए तरीके से और कानून के अनुसार नए खनन पट्टे प्रदान करना; (ii) उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना (और गोवा राज्य द्वारा अपनी समझ को खारिज करते हुए गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के फैसले की समझ) और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के संदर्भ में खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करना। ऐसा प्रतीत होता है कि गोवा राज्य ने यह विचार रखा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने से (और इसलिए इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने से) खनन कार्यों के शुरू होने में देरी होगी। राज्य ने इस बात को ध्यान में रखा कि उसके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा

यह खनन क्षेत्र से आता है और खनन कार्यों के बंद होने के कारण राज्य को लगभग धन की कमी हो गई थी। इसलिए, राज्य ने खनन पट्टों को दूसरा नवीनीकरण देने और नए पट्टे नहीं देने का फैसला किया। यह खनन पट्टा अनुदान नीति की सामग्री से काफी स्पष्ट है जिसमें उपरोक्त तथ्यों और निष्कर्षों को अधिक विस्तार से बताया गया है। क्या यह निर्णय सही था?

गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

52. खनन पट्टा धारकों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि खनन पट्टा का नवीनीकरण एक नए पट्टे के अनुदान के बराबर या राशि है और इसलिए जब खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया था, तो यह इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में एक नए पट्टे के अनुदान के बराबर था। रिलायंस को दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम पर रखा गया था। दुर्गा चंद कौशिस 1 1 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" पट्टे का नवीनीकरण वास्तव में एक नए पट्टे का अनुदान है। इसे केवल इसलिए "नवीनीकरण" कहा जाता है क्योंकि यह एक पूर्व पट्टे के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो आम तौर पर अधिकार के रूप में नवीनीकरण के लिए प्रदान करता है। अन्य सभी मामलों में, यह वास्तव में एक नया पट्टा है।

53. प्रोवाश चंद्र दलुई बनाम का भी उल्लेख किया गया था। विश्वनाथ बनर्जी 1 2 जिसमें यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में आयोजित किया गया था

कि पट्टे के विस्तार और पट्टे के नवीनीकरण के बीच अंतर है। हम अपनी चर्चा में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं पाते हैं। एम. सी. मेहता बनाम में व्यक्त विचार का भी संदर्भ दिया गया था। भारत संघ 1 3 जिसमें इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह स्थापित कानून है कि नवीकरण का अनुदान एक नया अनुदान है और कानून के अनुरूप होना चाहिए। 54. अंत में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पर निर्भरता रखी गई। कलकत्ता खनिज आपूर्ति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1 4 जिसमें यह निर्णय लिया गया था

रिपोर्ट के पैराग्राफ 31 में उल्लेख किया गया है कि पट्टे का नवीनीकरण एक नया अनुदान है। यह निर्णय गजराज सिंह बनाम को भी संदर्भित करता है। राज्य परिवहन

अपीलीय न्यायाधिकरण 1 5 जिसमें इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 38 में कहा कि नवीनीकरण का अनुदान एक नया अनुदान है, हालांकि यह दिए गए पिछले पट्टे या लाइसेंस के संचालन में जीवन की सांस लेता है।

55. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पट्टे का नवीनीकरण लगभग एक नए पट्टे के अनुदान के समान है, लेकिन एक अनुदान देने के लिए एक विपरीत निर्देश है

खनन पट्टा का अर्थ खनन पट्टा का नवीनीकरण देना नहीं समझा जा सकता है। जाहिर है, एक नए पट्टे का अनुदान पट्टे के नवीनीकरण के समान नहीं है और जब गोवा फाउंडेशन में अदालत ने गोवा राज्य को एक नया पट्टा देने की आवश्यकता थी, तो राज्य को मौजूदा (समाप्त) पट्टे को नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय स्पष्ट रूप से घोषणा कर सकता था और गोवा राज्य को खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने का निर्देश दे सकता था, न कि यह कहने के लिए कि उसे ऐसा करना चाहिए

11 ( 1973 ) 2 एस. सी. सी. 825

12 1989 सप्लीमेंट (1) एससीसी 487

13 ( 2004 ) 12 एससीसी 118 14 ( 2015 ) 8 एस. सी. सी. 655

15 ( 1997 ) 1 एससीसी 650 [2018] 2 एस. सी. आर.

नवीकरण के समतुल्य नया पट्टा प्रदान करना। हम इस संबंध में खनन पट्टा धारकों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

56. इसके अलावा, जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, संदर्भ और

अभिलेख पर मौजूद सामग्री इस विचार का खंडन करती है कि गोवा फाउंडेशन में न्यायालय ने कानून के अनुसार नए खनन पट्टों के अनुदान को अनिवार्य नहीं किया था। 57. खनन पट्टा धारकों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वही विद्वान न्यायाधीश जिन्होंने गोवा फाउंडेशन को अनुमति देने का फैसला किया था

सामान्य कारण में राज्य सरकार v. भारत संघ एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने पर विचार करेगा। इसलिए गोवा फाउंडेशन में आवश्यकता

'नए पट्टों' के अनुदान को उसी तरह से समझा जाना चाहिए जैसा कि कॉमन कॉज में निर्देशित किया गया था। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। कॉमन कॉज में दिया गया निर्देश एक अंतरिम निर्देश था और गोवा फाउंडेशन की तरह अंतिम निर्देश नहीं था। इसके अलावा, दोनों में तथ्य

मामले बिल्कुल भी समान नहीं हैं ताकि एक समान आदेश पारित या समझा जा सके। अंत में, यह तथ्य कि विद्वान न्यायाधीशों के एक ही समूह ने मामलों के एक समूह में 'नए पट्टों' के अनुदान का निर्देश देना उचित समझा और मामलों के दूसरे समूह में 'दूसरे नवीनीकरण' पर प्रत्यक्ष विचार करना उचित समझा, यह इंगित करता है कि विद्वान न्यायाधीशों को मामलों के अंतर के बारे में पता था। दिशा निर्देश। इसलिए जब झुकाव वाले न्यायाधीशों ने गोवा फाउंडेशन में 'नए पट्टों' के अनुदान का निर्देश दिया तो यह एक जानबूझकर और सचेत निर्णय था जो समाप्त हो चुके खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण देने से अलग था।

पट्टों पर, गोवा राज्य को नए खनन पट्टों के अनुदान पर विचार करने की आवश्यकता थी। इसलिए गोवा राज्य का एक अनुदान देने का निर्णय खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण गलत है, जो गोवा फाउंडेशन के निर्णय के विपरीत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

क्या गोवा राज्य को खनन पट्टों की नीलामी करनी चाहिए थी?

59. जैसा कि खनन पट्टा नीति के अनुदान में उल्लेख किया गया है

गोवा राज्य के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसने यह विचार रखा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसके सभी विकल्पों को बंद कर दिया गया था और वह खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने के लिए बाध्य था। हम पहले से ही

16 ( 2014 ) 14 एस. सी. सी. 155 द गोवा फाउंडेशन v.

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था और खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करने का निर्णय गलत था और गोवा फाउंडेशन के निर्णय के अनुसार नए पट्टे दिए जाने की आवश्यकता थी। हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर चर्चा की गई कि क्या गोवा राज्य को प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से खनन पट्टों की नीलामी करनी चाहिए थी अब अकादमिक रूप से प्रस्तुत। हालाँकि, चूंकि दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई थीं, जिनमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी शामिल थे, इसलिए हम इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

60. प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन या निपटान का एकमात्र तरीका नीलामी होने के सवाल पर चर्चा इस दृष्टिकोण के कारण हुई इस न्यायालय द्वारा सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन v. में व्यक्त किया गया। भारत संघ "। उस निर्णय में (इसके बाद सीपीआईएल के रूप में जाना जाता है-हालांकि इस मामले को आम तौर पर 2 जी घोटाले के रूप में जाना जाता है।

मामला) न्यायालय ने प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण नीति का पालन करने के प्रश्न पर विचार किया। ऐसा करते समय यह देखा गया कि नीलामी "शायद इस बोझ के निर्वहन का सबसे अच्छा तरीका है" और यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला गया कि "प्राकृतिक संसाधनों को हस्तांतरित या अलग करते समय, राज्य व्यापक प्रचार देकर नीलामी की विधि को अपनाने के लिए कर्तव्यबद्ध है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।" इससे यह विश्वास पैदा हुआ कि इस न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि प्राकृतिक संसाधनों को केवल नीलामी द्वारा अलग किया जाना चाहिए या उनका निपटान किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 95 और 96 में निम्नलिखित निर्णय दियाः

" इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जहां कहीं भी अनुबंध दिया जाना है या लाइसेंस दिया जाना है, सार्वजनिक प्राधिकरण को चयन करने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका अपनाना चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा का उचित अवसर मिल सके। इसे अलग तरह से रखने के लिए, राज्य और इसकी एजेंसियों/उपकरणों को सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के लिए हमेशा एक तर्कसंगत तरीका अपनाना चाहिए।

और योग्य आवेदकों के दावे को विफल करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जब दुर्लभ प्राकृतिक के अलगाव की बात आती है

जनहित।

हमारे विचार में, निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आयोजित एक विधिवत प्रचारित नीलामी शायद इस बोझ के निर्वहन का सबसे अच्छा तरीका है।

और प्राकृतिक संसाधनों/सार्वजनिक संपत्ति के अलगाव के लिए उपयोग किए जाने पर पहले आओ-पहले पाओ जैसे तरीकों के होने की संभावना है

बेईमान लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक संसाधनों को हस्तांतरित या अलग करते समय, राज्य व्यापक प्रचार करके नीलामी के तरीके को अपनाने के लिए बाध्य है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इसमें भाग ले सकें।

प्रक्रिया में "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

61. मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव 1 8 इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त अंशों की व्याख्या की और कहा कि सी. पी. आई. एल. में व्यक्त विचार के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय को विशेष संदर्भ संख्या 1-प्राकृतिक संसाधन आवंटन के रूप में संदर्भित करने की आवश्यकता है। 19

62. प्राकृतिक संसाधन आवंटन में इस न्यायालय द्वारा क्या सलाहकारी राय दी गई थी? राय के लिए भेजे गए प्रश्नों में शामिल थे -

निम्नलिखितः

प्रश्न 1. क्या सभी क्षेत्रों में और सभी परिस्थितियों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए एकमात्र अनुमेय विधि है

नीलामी के संचालन से है?

प्रश्न 2. क्या कानून का एक व्यापक प्रस्ताव कि प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए केवल नीलामी के मार्ग का सहारा लिया जा सकता है, बड़ी पीठों सहित सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों के विपरीत नहीं है?

63. संदर्भ में, संविधान पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि सी. पी. आई. एल. में अनुच्छेद 94 से 96 में प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के अनुपात को निर्धारित किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि "ये पैराग्राफ कानून के एक प्रस्ताव के रूप में निर्धारित करते हैं कि सभी क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों का और सभी परिस्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान किया जाना है। और दूसरी ओर, यह आग्रह किया गया था कि उसमें अवलोकन केवल क्रा स्पेक्ट्रम बनाए गए थे।

64. विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर तब चर्चा की गई और उसके बाद इस न्यायालय ने पैराग्राफ के बीच अपने निष्कर्ष दर्ज किए 82 और प्राकृतिक संसाधन आवंटन की धारा 84। पैराग्राफ 84 में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

18 ( 2014 ) 9 एस. सी. सी. 516 1 9 (2012) 10 एस. सी. सी. 1 गोवा फाउंडेशन बनाम।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

" 84. इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि 2 जी केस 20 करता है

स्पेक्ट्रम के अलावा, हम अब जवाब देने के लिए आगे बढ़ेंगे अन्य प्राकृतिक से संबंधित संदर्भ का पहला प्रश्न

संसाधन, क्योंकि प्रश्न पूरे संदर्भ का सार है, विशेष रूप से पहले पांच प्रश्नों का सेट। [ जोर दें।

हमारे द्वारा प्रदान किया गया]।

65. इसके बाद, संदर्भ में पहले प्रश्न का उत्तर देते समय, न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया। यह पहले निपटाया गया

संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39 (बी) के संदर्भ में मुद्दे के साथ और रिपोर्ट के पैराग्राफ 120 में निष्कर्ष निकाला गया कि नीलामी के माध्यम से राजस्व को अधिकतम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का निपटान एक संवैधानिक अधिदेश नहीं है। यह आयोजित किया गया थाः

" इसलिए, निष्कर्ष में, यह निवेदन कि अनुच्छेद 14 का अधिदेश यह है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी प्राकृतिक संसाधन का कोई भी निपटान राजस्व अधिकतमकरण के लिए होना चाहिए, और इस प्रकार नीलामी द्वारा, न तो कानून पर आधारित है और न ही तर्क पर। कोई संवैधानिक नहीं है

यह स्थापित करता है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव/आवंटन आवश्यक रूप से कम करने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है आम भलाई, और कभी-कभी, सार्वजनिक भलाई के विपरीत हो सकती है।

इसलिए, सभी प्राकृतिक पदार्थों के निपटान पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है।

नीलामियों के माध्यम से संसाधन स्पष्ट रूप से संवैधानिक नहीं हैं

आदेश "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

66. तब इस मुद्दे पर वैध दृष्टिकोण से विचार किया गया था।

नीलामी से विचलन। इस न्यायालय के कई फैसलों को स्वीकार करने के बाद, जहां नीलामी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का पसंदीदा तरीका नहीं था, यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 129 और 131 के बीच निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 14 के तहत नीलामी के पक्ष में कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है। सरकार ने

बार-बार नीलामी के क्रम से विचलित हुए और इस न्यायालय ने बार-बार ऐसी कार्रवाइयों को बरकरार रखा है। न्यायपालिका अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन और निष्पक्षता के सीमित दायरे पर इस तरह के विचलन का परीक्षण करती है और इसकी भूमिका उस हद तक सीमित है। अनिवार्य रूप से, जब भी नीति का उद्देश्य राजस्व के अलावा कुछ भी होता है

अधिकतमकरण, कार्यपालिका को तरीकों को अपनाने के लिए देखा जाता है

नीलामी के अलावा।

कानूनी तर्क के अलावा अनिवार्य नीलामी भी आर्थिक तर्क के विपरीत हो सकती है। विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है

अलग-अलग उपचार। अक्सर, प्राकृतिक संसाधनों की खोज में भारी पूंजी की आवश्यकता के कारण अन्वेषण और दोहन अनुबंधों को एक साथ जोड़ा जाता है। एक चिंता इस तरह के अन्वेषण करने का जोखिम उठाएगी और भारी लागत वहन करेगी। केवल तभी जब संसाधन का उपयोग सुनिश्चित किया गया हो।

खोजा गयाः एक विवेकपूर्ण व्यावसायिक उद्यम पसंद नहीं करेगा

अन्वेषण गतिविधियों में शामिल उच्च लागत और

फिर एक खुली नीलामी में उस संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करें। द.

तर्क पेटेंट में लागू किए गए तर्क के समान है। फर्मों को इस वादे के साथ अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है

उस आविष्कार की बिक्री के लिए बाजार तक अनन्य पहुंच।

कभी-कभी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह, किसी विशिष्ट उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और दोहन अनुबंधों को जोड़ना आवश्यक हो सकता है।

नीलामी से इसी तरह के विचलन से इनकार नहीं किया जा सकता है जब राज्य की नीति का उद्देश्य किसी उद्योग के घरेलू विकास को बढ़ावा देना है, जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए कस्तूरी लाल मामले 2 1 में किया गया है। हालाँकि, ये उदाहरण विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं ताकि प्रदर्शित किया जा सके।

कि नीलामी अलगाव के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है

सभी प्राकृतिक संसाधन "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

67. अंत में, इस मुद्दे पर एन के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में दुरुपयोग के दृष्टिकोण से विचार किया गया और इस संदर्भ में इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 135 में रखा गया थाः

" इसलिए, दुरुपयोग की संभावना किसी विधि को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती क्योंकि यह संविधान के अधिकार से बाहर है। यह वास्तविक दुर्व्यवहार ही है जिसे अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए।

) 4 एस. सी. सी. 1 गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर परीक्षण किया गया। वास्तव में, यह

यह कहा जा सकता है कि नीलामी में भी आवंटन के किसी भी अन्य तरीके की तरह दुरुपयोग की संभावना है, लेकिन यह इसे असंवैधानिक पद्धति घोषित करने का आधार भी नहीं हो सकता है। इन कमियों में गुटबंदी, "विजेता का अभिशाप" (वह घटना जिसके द्वारा एक बोलीदाता प्रतिस्पर्धा को पार करने के लिए एक उच्च, अवास्तविक और अप्रवर्तनीय मूल्य की बोली लगाता है; या जहां एक बोलीदाता, कई नीलामी के मामले में, सभी संसाधनों के लिए बोली लगाता है और अधिक संसाधनों के दोहन के लिए लाइसेंस जीतता है जो वह व्यावहारिक रूप से निष्पादित कर सकता है), आदि शामिल हैं। हालाँकि, नीलामी को उक्त कारणों से अल्ट्रा वायर्स नहीं कहा जा सकता है और यह जारी है। प्राकृतिक संसाधनों के निपटान का एक आकर्षक और पसंदीदा साधन बनें

संसाधन विशेष रूप से तब जब राजस्व को अधिकतम करना प्राथमिकता हो। इसलिए, न तो नीलामी, और न ही निपटान का कोई अन्य तरीका

इसे संविधान के अधिकार से बाहर माना जा सकता है, केवल इसलिए कि

संभावित दुरुपयोग "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

68. संविधान पीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को रिपोर्ट के पैराग्राफ 148 और 150 के बीच निम्नलिखित में संपादित किया गया थाः

" हमारी राय में, प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव/आवंटन का एक अधिक बेहतर तरीका होने के बावजूद नीलामी को संवैधानिक आवश्यकता या सीमा नहीं माना जा सकता है। सभी प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव और इसलिए, नीलामी के अलावा हर अन्य तरीके को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संवैधानिक जनादेश से परे है।

उपरोक्त उपदेशों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि नीलामी को एक साधन के रूप में एक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

संवैधानिक सिद्धांत। प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव एक नीतिगत निर्णय है, और इसके लिए अपनाए गए साधन इस प्रकार कार्यकारी विशेषाधिकार हैं। हालांकि, जब इस तरह का नीतिगत निर्णय किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं होता है, और बहुमूल्य और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को अधिकतम लाभ के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अलग-थलग कर दिया जाता है।

उद्यमियों, उन साधनों के अलावा अन्य साधनों को अपनाना जो

प्रतिस्पर्धी हैं और अधिकतम राजस्व मनमाना हो सकता है

और संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए, हमारा मानना है कि किसी विधि को निर्धारित करने या प्रतिबंधित करने के बजाय, प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के तरीकों की न्यायिक जांच [2018] 2 एस. सी. आर.

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उन सिद्धांतों के अनुरूप जिन्हें हमने ऊपर निकाला है। ऐसा न करने पर, न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी कार्रवाई को मनमाना, अनुचित, अनुचित और मनमौजी के रूप में वर्णित करेगा क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।

संविधान।
अंत में, पाँच प्रश्नों के पहले समूह का हमारा उत्तर यह है कि सभी क्षेत्रों में और सभी परिस्थितियों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए नीलामी ही एकमात्र अनुमेय तरीका नहीं है। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

69. इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए कोई संवैधानिक आवश्यकता (जनादेश की तो बात ही छोड़िए) नहीं है।

नीलामी विधि के माध्यम से (स्पेक्ट्रम के अलावा) लेकिन साथ ही नीलामी प्रक्रिया को बिना किसी औचित्य के मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए-मंजूरी देने का निर्णय न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है, हालांकि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के आवंटन और नीति के मामलों में संविधान के अनुच्छेद 14 और 39 (बी) की आवश्यकताओं का पालन करना संविधान पीठ द्वारा बनाई गई एक बड़ी छलांग थी। नतीजतन, जबकि कोई जनादेश नहीं है, संवैधानिक या अन्यथा, कि प्राकृतिक संसाधन आवंटन केवल नीलामी द्वारा होना चाहिए, यह निश्चित रूप से "एक अधिक बेहतर तरीका" है। अपवाद हैं, जैसे कि जब प्राकृतिक संसाधन का आवंटन "सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य" के लिए होता है। दूसरी ओर यदि प्राकृतिक संसाधन का आवंटन किसी भी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए "निजी उद्यमियों को अधिकतम लाभ के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए" है, तो न्यायिक समीक्षा की अनुमति होगी और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार -

70. अपनी सहमति वाली राय में, न्यायमूर्ति खेहर ने (रिपोर्ट के पैराग्राफ 186 में) यह विचार लिया कि: ..... जब राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को निजी व्यक्तियों को वाणिज्यिक दोहन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, राज्य का प्रयास राजस्व लाभ को अधिकतम करने की दिशा में होना चाहिए। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]

विद्वान न्यायाधीश ने इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए अपनी राय का समापन किया कि नीलामी मूल्य वसूली तंत्रों में से एक है, लेकिन आवंटन के लिए एकमात्र नहीं है प्राकृतिक संसाधन "। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि यह प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए कभी भी एक वैध तरीका नहीं हो सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर अलग-थलग नहीं किया जा सकता है, न कि कमाई के रूप में या आम भलाई के लिए या दोनों के लिए एक पारस्परिक विचार के रूप में। विद्वान न्यायाधीशकहने का मतलब हैः

" सार्वजनिक भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की नीति को विधायिका द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है। इसी तरह, प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीति

कार्यपालिका द्वारा भी संसाधन निर्धारित किए जा सकते हैं। द. की वैधता और संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए मापदंड

प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए तंत्र को एकमात्र संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि यह प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के लिए कभी भी एक वैध तरीका नहीं हो सकता है (मेरी तत्काल राय के पैरा 186 से 188 का संदर्भ लें)। इसलिए, मैं यह कहते हुए निष्कर्ष निकालूंगा कि प्राकृतिक संसाधन के किसी भी हिस्से को निजी शोषण के लिए उदारता, दान, दान या दान के रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता है। खर्च किए गए प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन को पारस्परिक रूप से वापस लाना चाहिए।

विचार करें। विचार की प्रकृति में हो सकता है

राजस्व अर्जित करना या हो सकता है "आम का सबसे अच्छा उपयोग करना" अच्छा "। यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। वहाँ नहीं हो सकता।

भौतिक संसाधनों का निः शुल्क या एक पर अपव्यय होना

उनके वास्तविक मूल्य से कम पर विचार करें। एक समूह

नागरिक नागरिकों के दूसरे समूह की कीमत पर समृद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह उचित या उचित नहीं होगा। [ द्वारा दिया गया जोर

हम]।

71. गोवा फाउंडेशन में भी इस मुद्दे पर विचार किया गया था। द.

के पैराग्राफ 81 में प्राकृतिक संसाधन आवंटन के लिए विज्ञापित

बंदरगाह और पीठ ने अपना विचार व्यक्त किया कि पट्टा देने का तरीका राज्य सरकार का एक नीतिगत निर्णय है, लेकिन निर्णय

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जांच की गई। यह आयोजित किया गया थाः

" हमारा विचार है कि यह राज्य सरकार को नीतिगत रूप से तय करना है कि इन खनिज संसाधनों के पट्टे किस तरह से दिए जाएंगे, लेकिन यह निर्णय [2018] 2 एस. सी. आर. के प्रावधानों के अनुसार लिया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और गोवा राज्य द्वारा किसी विशेष तरीके से या किसी विशेष पक्ष को खनन पट्टा देने के लिए लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जांच की जा सकती है -

अदालत "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

रिपोर्ट के अनुच्छेद 87.5 में यह घोषित किया गया था किः

" यह राज्य सरकार को नीतिगत रूप से तय करना है कि भविष्य में किस तरह से खनन पट्टे दिए जाने हैं, लेकिन राज्य के निर्णय की संवैधानिकता या वैधता

न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार की जांच की जा सकती है। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

इसी तरह, मनोहर लाल शर्मा मामले में इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की और रिपोर्ट के पैराग्राफ 98 में निम्नलिखित का उल्लेख कियाः

" संविधान पीठ [प्राकृतिक संसाधन आवंटन]

यह स्पष्ट किया गया कि 2 जी मामले (सीपीआईएल) में कानून का बयान कि प्राकृतिक संसाधनों का हस्तांतरण या अलगाव करते समय, नीलामी की विधि को अपनाना राज्य का कर्तव्य है, स्पेक्ट्रम के विशिष्ट मामले तक ही सीमित था, न कि सभी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए। संविधान पीठ ने कहा कि 2 जी में इस अदालत के निष्कर्ष

मामला स्पेक्ट्रम के मामले तक सीमित था और उससे आगे नहीं और यह कि यह प्राकृतिक के लिए आवंटन के तरीकों से संबंधित नहीं था।

स्पेक्ट्रम के अलावा अन्य संसाधन "।

न्यायालय ने न्यायमूर्ति खेहर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का भी उल्लेख किया और रिपोर्ट के पैराग्राफ 104 में कहाः

" उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, यह तर्क कि नीलामी अनुच्छेद 39 (बी) के अनुसार निजी पक्षों का चयन करने का सबसे अच्छा तरीका है

स्वीकार करने योग्य नहीं है। "

72. इस न्यायालय ने तब न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग किया और कोयले के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग को नहीं अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के गुण-दोष पर विचार किया

ब्लॉक। विभिन्न प्रस्तुतियाँ, सामने आने वाली विभिन्न बाधाएँ (राज्य सरकारों की आपत्तियों सहित) के साथ-साथ

प्रतिस्पर्धी बोली के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन को खोलने की अव्यावहारिकता पर विचार किया गया और फिर इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 110 में (संविधान के अनुच्छेद 14 की खिड़की खोलने के बाद) आयोजित किया गयाः

" उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि इसे स्थापित करने में लगभग 8 साल लगे

प्रतिस्पर्धी गोवा फाउंडेशन के माध्यम से कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन करना।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

बोली लगाते हैं। इस अवधि के दौरान, कई कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे

वर्तमान विवाद का उदय, जिससे बचा जा सकता था क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली से पारदर्शिता आई होगी,

निष्पक्षता और बहुत महत्वपूर्ण रूप से कोयले के सभी आवेदकों को एक समान अवसर दिया गया और बाजार के बीच अंतर को कम किया गया

प्रीमियम जो सरकार को उपार्जित होता। जो भी हो, एक बार जब यह इस संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया जाता है प्राकृतिक संसाधन आवंटन में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के विभिन्न तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकता है और सभी तथ्यों और परिस्थितियों में एक विधि का पालन करने का आदेश नहीं दे सकता है, तो अगर उस समय प्रचलित बिजली की कमी की गंभीर स्थिति के कारण निजी भागीदारी की आवश्यकता होती और सरकार ने महसूस किया कि यह होता

नीलामी के माध्यम से कोयला ब्लॉकों को आवंटित करना अव्यावहारिक और अवास्तविक था और बाद में 2004 में कई लोगों ने इसका गंभीर विरोध किया।

इस तरह के आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया पाई जाती है। अनुचित, अनुचित, भेदभावपूर्ण, गैर-पारदर्शी होना,

मनमौजी या पक्षपात या भाई-भतीजावाद से पीड़ित और

संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश का उल्लंघन,

इस तरह के असंवैधानिक या अवैध के परिणाम

आवंटन का पालन किया जाना चाहिए। " [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

73. हाल ही में एम/एस में। अजार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। अरायन सोमानी 22 इस न्यायालय ने एक बार फिर इस मुद्दे की जांच कीप्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और आयोजनः

" निस्संदेह, नीलामी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का निपटान एक अनिवार्य सिद्धांत नहीं है, जैसा कि संविधान पीठ ने कहा, 23

( 10 ) स्केल 346

अल संसाधन आवंटन [2018] 2 एस. सी. आर.

व्यक्तिगत कानून द्वारा हस्तांतरण के तौर-तरीकों का प्रावधान किया जा सकता है

वैकल्पिक तरीके जो सार्वजनिक हित को कम करते हैं। ..... चयन

विधियों को जनता के बेलगाम विवेक पर नहीं छोड़ा जाता है।

प्राधिकरण। जहाँ एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक कार्यकारी का प्रयोग करता है

विशेषाधिकार, फिर भी इसे इस तरह से कार्य करना चाहिए जो

लोक हित को कम करने और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए

दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन इस तरह से जो प्राप्त करेंगे

सार्वजनिक भलाई। जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक नीति को लागू करता है, जो समुदाय के कल्याण को प्राप्त करने के उद्देश्य से संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक उद्देश्य द्वारा समर्थित है,

शासन उन लोगों से अलग होगा जब यह अलग हो जाता है

निकाय में सन्निहित एक संवैधानिक उद्देश्य द्वारा सक्रिय किया जाता है निर्देशक सिद्धांत, वे विचार जो इसके साथ वजन करते हैं

अलगाव के तरीके का निर्धारण इस तरह से किया जाना चाहिए

अंतर्निहित उद्देश्य को प्राप्त करें। कुछ मामलों में, प्रमुख

विचार राजस्व को अधिकतम करने के लिए नहीं बल्कि प्राप्त करने के लिए है

अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए किफायती आवास या जनजातियों या नीचे के लिए आवास योजनाओं को लागू करने के लिए

गरीबी रेखा (बी. पी. एल.) परिवार। अन्य मामलों में जहां प्राकृतिक

वाणिज्यिक दोहन के लिए संसाधनों को अलग किया जाता है,

सार्वजनिक प्राधिकरण उन्हें अपने स्तर पर नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

जनहित की कीमत पर बेलगाम विवेक "।

[ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

खिड़की अब खुली से अधिक है।

74. हाल तक नीति विशेष रूप से आर्थिक मामलों से संबंधित थी।

जहाँ तक न्यायालयों का संबंध है, नीति व्यावहारिक नहीं थी। 24 लेकिन इस न्यायालय के हाल के फैसलों, जिसमें अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र में संविधान पीठ भी शामिल है, ने इस सिद्धांत को आंशिक रूप से संशोधित किया है और इस तरह की नीति की न्यायिक रूप से समीक्षा करने के लिए खिड़की खुली रखी है, अगर यह संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में समझे गए सामान्य हित की सेवा नहीं करता है, अगर यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) को दरकिनार करते हुए निजी उद्यमियों के अधिकतम लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अलग करता है। विधायिका और कार्यपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह हैं और यह वह जगह है जहाँ न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक है। 24 बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333 पैराग्राफ 46 और 47 पर गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान को प्राकृतिक संसाधनों के निपटान की शक्तियों की रूपरेखा खोजना चाहिए, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39 (बी) (संविधान का)। 25

संविधान; (iv) किसी प्राकृतिक संसाधन की नीलामी नहीं करने और राजस्व को अधिकतम करने का त्याग करने का निर्णय उचित हो सकता है यदि निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक भलाई या सार्वजनिक भलाई या सामान्य भलाई के लिए लिया जाता है; (v) जब तक किसी प्राकृतिक संसाधन का अलगाव या निपटान सामान्य भलाई या सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए नहीं होता है, तब तक इसे किसी निजी उद्यमी के पक्ष में वस्तुतः मुफ्त में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39 (बी) को आकर्षित किए बिना इसके मूल्य के अनुरूप विचार नहीं।

क्या गोवा राज्य का नीलामी मार्ग छोड़ने का निर्णय मनमाना है?

77. ऊपर बताए गए व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या गोवा राज्य

खनन के अनुदान के लिए नीलामी मार्ग को नहीं अपनाना उचित था 25 प्राकृतिक संसाधन आवंटन निर्णय [2018] 2 एस. सी. आर. का अनुच्छेद 95।

पट्टे पर देता है और बस दूसरा नवीनीकरण देता है। इस मुद्दे की बेहतर समझ के लिए, गोवा खनिज नीति, ई. ए. सी. की रिपोर्ट, खनन पट्टा नीति अनुदान और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को फिर से संदर्भित करना सार्थक होगा, जिन दस्तावेजों पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा भरोसा किया गया था।

( i) गोवा खनिज नीति

78. खनिज नीति यह बहुत स्पष्ट करती है कि इस अवधि के दौरान

लगभग 2006 से लगभग 2012 तक (लगभग 5 वर्षों के लिए) गोवा में लौह अयस्क का निष्कर्षण एक स्वतंत्र स्थिति के अलावा और कुछ नहीं था। सभी संबंधितों, विशेष रूप से खनन द्वारा बहुतायत में अवैधता और अनियमितताएं की गईं। पट्टा धारक। खनिज नीति में लिखा है कि राज्य ने अराजक और अनियमित खनन के चरम को देखा है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण का विचार, गोवा की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए चिंता हितधारकों के विचारों से बहुत दूर थी-यहां तक कि औसत गोवा के लोगों की भलाई को भी हितधारकों द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था। ए.

खनिज नीति के प्रारंभिक अनुच्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि गोवा में जबरदस्त खनन से कम कुछ नहीं चल रहा था। इस सारे बलात्कार के लाभार्थी कौन थे? क्या इन सब को नजरअंदाज किया जा सकता है?

79. खनिज नीति हमें सूचित करती है कि बलात्कार के लाभार्थी न तो घरेलू उद्योग थे और न ही निश्चित रूप से

औसत गोआन। इसका कारण खनिज नीति में बताया गया है।

स्वयं। कम एफ. ई. सामग्री और उच्च सिलिका उपस्थिति के कारण गोवा का लौह अयस्क भारतीय उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, भारतीय उद्योग में कोई मूल्यवर्धन नहीं हुआ है और लौह अयस्क का खनन केवल निर्यात के लिए किया गया था-मुख्य रूप से चीन और जापान को भी। पास में एक बंदरगाह होने के कारण, गोवा का लौह अयस्क वैश्विक बाजार के लिए एक आकर्षक खरीद थी और इससे बंदरगाह, परिवहनकर्ताओं और बजरा मालिकों आदि को लाभ हुआ। प्राथमिक इसका लाभार्थी, निश्चित रूप से, खनन पट्टा धारक, एक निजी संस्था थी, और कीमत का भुगतान औसत गोवा निवासी द्वारा किया गया था, जिसे प्रदूषित वातावरण का सामना करना पड़ा और राज्य की पारिस्थितिकी को नुकसान उठाना पड़ा।

80. यदि खनिज नीति में उल्लिखित मुद्दों पर निष्पक्ष रूप से सख्त मौद्रिक संदर्भ में विचार किया जाता है, तो एकमात्र निष्कर्ष यह हो सकता है -

यह बताया गया है कि लौह अयस्क का निष्कर्षण वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया था

और निजी उद्यमियों के राजस्व को अधिकतम करना, न कि गोवा राज्य के लिए। प्राकृतिक संसाधन का कुछ खनन द्वारा दोहन किया गया था।

लाभ कमाने के लिए पट्टा धारक और कुछ नहीं। कुछ संपार्श्विक लाभार्थी भी थे, और वे भी व्यावसायिक रूप से संचालित संस्थाएं थीं जैसे कि बजरा मालिक, ट्रक मालिक आदि। इनके तहत गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

परिस्थितियों में, सवाल यह उठता है कि क्या खनन पट्टा धारकों को एक गीत के लिए वस्तुतः खनन पट्टे का दूसरा नवीनीकरण दिया जाना चाहिए था, यानी केवल रॉयल्टी का भुगतान, जब वे केवल लाभ के उद्देश्य से संचालित थे या क्या खनन पट्टे दिए जाने चाहिए थे।

( (ii) विश्वनाथ आनंद विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 82. ई. ए. सी. की रिपोर्ट पढ़ना परेशान करने वाला है और खनन से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान को उजागर करता है।

पट्टा धारक। रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ने से सभी संबंधित लोगों की पूर्ण उदासीनता स्पष्ट होती है। हम ई. ए. सी. की रिपोर्ट से 'टिप्पणियों के सारांश' और 'समापन टिप्पणियों' को संदर्भित करने और उद्धृत करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि वे स्वयं व्याख्यात्मक हैं:

" प्रेक्षणों का सारांश

विशिष्ट शर्तों की अनुपस्थिति को उजागर करती है

आई.

ई. सी. [पर्यावरण मंजूरी] में एन. बी. डब्ल्यू. एल. [राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड] की स्थायी समिति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता के कारण कानूनी आवश्यकता की गलत व्याख्या हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए मंत्रालय द्वारा चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू करने से पहले 5 साल से अधिक की अत्यधिक देरी हुई है

दिनांकित 04.12.2006।

II. 137 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता

डब्ल्यू. एल. के अधीन एन. बी. डब्ल्यू. एल. की स्थायी समिति (पी) अधिनियम 1972 [वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम] का पालन 123 मामलों में नहीं किया गया है जहां दूरी निकटतम पीए [संरक्षित क्षेत्र] से 10 किमी से कम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

III. 10 मामलों के संबंध में एन. बी. डब्ल्यू. एल. की स्थायी समिति की मंजूरी अनिवार्य नहीं है क्योंकि खदान पट्टे हैं

निकटतम पीए से 10 किमी से परे स्थित है।

IV. रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.08.2006 के निर्देशों के विपरीत; एक किलोमीटर के दायरे में स्थित 41 खदानों को ईसी प्रदान किए गए हैं।

निकटतम पीए।

20 मामलों के संबंध में खदान पट्टों का नवीनीकरण किया गया

वी.

एफ. सी. [वन मंजूरी] के अनुदान से पहले एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957।

VI. 29 मामलों में परियोजना के प्रस्तावकों ने गलत जानकारी दी है।

निकटतम पीए से दूरी के बारे में जानकारी।

VII. सी. जी. डब्ल्यू. बी./अतिक्रमण की पूर्व मंजूरी के बिना अतिरिक्त उत्पादन/अनधिकृत डंप खनन/भूजल की निकासी जैसी विभिन्न ई. सी. शर्तों का गैर-अनुपालन;

काम करने वाली खदानों के संबंध में भी बताया गया है।

समापन टिप्पणियां

हमारी टिप्पणियों और सिफारिशों को पढ़ने से पता चलता है कि बिना किसी अपवाद के, प्रत्येक प्रस्तावक जिसके लिए

पर्यावरण मंजूरी या तो इसकी शर्तों का उल्लंघन किया गया है या आवेदन में ऐसी जानकारी दी गई है जो सच्चाई से परे है। मूल रूप से दो प्रकार के उल्लंघन होते हैं; एक जिसे कानूनी रूप से माफ नहीं किया जा सकता है और जिसे उपचारात्मक उपायों से ठीक किया जा सकता है। यही कारण है कि समिति ने सिफारिश की है कि खदानों के लिए सभी ईसी पीए से एक किलोमीटर के भीतर स्थित खदानों को रद्द कर दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में जहां ईसी के लिए आवेदन में असत्य जानकारी दी गई थी, ऐसी खदानों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन खदानों के मामले में जो पांच साल से अधिक समय से बंद हैं,

माइक्रो के रूप में एक नई पर्यावरणीय मंजूरी के लिए नए सिरे से आवेदन किए बिना उन्हें फिर से खोलने की सिफारिश नहीं की गई है।

बंद रहने की अवधि के दौरान जमीन पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बदल गई होंगी। हालाँकि, जब कोई सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 04.08.2006 और 04.12.2006 निर्देशों को लागू करने के तरीके को देखता है, तो कोई मदद नहीं कर सकता है लेकिन महसूस कर सकता है कि अनुपस्थिति है।

यह सुनिश्चित करने और देखरेख करने के लिए कि न्यायालयों के निर्देशों का उचित परिश्रम और गंभीरता के साथ पालन किया जाता है, मंत्रालय के भीतर एक सेतु तंत्र का गठन।

गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

दो कारक हैं जो अलग हैं; जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, कुछ ई. सी. में यह शर्त डाली गई थी कि परियोजना प्रस्तावक को सी. डब्ल्यू. एल. डब्ल्यू. [मुख्य वन्यजीव वार्डन] से अनुमोदन लेना चाहिए, अन्य में यह कहा गया था कि एन. बी. डब्ल्यू. एल. की सक्षम प्राधिकरण/स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए और

तीसरी श्रेणी में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, भले ही इनमें से कुछ चुनाव आयोग 2005 और 2007 के बीच एक ही बैठक और समय सीमा से संबंधित हैं। यह अजीब बात है कि एम. ओ. ई. एफ. में संबंधित अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एन. बी. डब्ल्यू. एल. की स्थायी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश द्वारा परिकल्पित अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। यह कहने के लिए नहीं है कि ईसी पत्र में कोई भी विसंगति परियोजना प्रस्तावक को देश के कानून का पालन करने से मुक्त कर देगी। इसके परिणामस्वरूप कई लोगों के बीच अस्पष्टता पैदा हुई है। परियोजना के प्रस्तावकों और यह 01.01.2009 तक नहीं था कि एम. ओ. ई. एफ. ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

यह देखते हुए कि परियोजना के कुछ प्रस्तावक स्पष्ट रूप से नहीं में एम. ओ. ई. एफ. की अस्पष्टता से गुमराह हो सकते हैं।

कानूनी स्थिति को निरूपित करते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि उन परियोजना प्रस्तावकों के मामले में जिन्होंने अपने में तथ्यों को नहीं छिपाया

लेकिन एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति को अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया, उनके आवेदनों को एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति के समक्ष रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि इसे किसी भी तरह से एक औचित्य के रूप में नहीं माना जा सकता है

कानून की आवश्यकताओं का पालन नहीं करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों का हिस्सा। उदाहरण के लिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन मामलों में जहां खनन ने भूजल को काट दिया है, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सी. जी. डब्ल्यू. बी. [केंद्रीय भूजल बोर्ड] की मंजूरी नहीं ली गई थी जैसा कि ई. सी. द्वारा आवश्यक था। इसी तरह, ऐसे मामले भी हैं जहां एफ. सी. प्राप्त किए बिना खनन कार्य हुए हैं। जहां तक निर्वाचन आयोगों की शर्तों के उल्लंघन का संबंध है और जहां पर्यावरणीय क्षति हुई है, संबंधित समर्थकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और एम. ओ. ई. एफ. को

इस बात की जांच करें कि प्रदूषक को भुगतान करना चाहिए सिद्धांत के आधार पर उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ मौद्रिक नुकसान कैसे लगाया जा सकता है, जिसकी आय का उपयोग पर्यावरण पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।

वहाँ हुए खनन की सीमा और मात्रा को बनाए रखने की इसकी क्षमता के संबंध में क्षेत्र की वहन क्षमता के बारे में चिंताएँ हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि क्षेत्र के लिए एक वहन क्षमता अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए, या यदि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा किया गया कोई अन्य अध्ययन सफल हो रहा है तो उसके परिणाम पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के अध्ययन में क्षेत्र के जल विज्ञान पर खनन के प्रभाव और सतह और भूजल के कारण होने वाले प्रदूषण की सीमा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पिछले दशक में क्षेत्र की जैव विविधता और जल विज्ञान पर खनन के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए इस अध्ययन की तुलना पिछले 10 वर्षों के आधारभूत आंकड़ों से की जानी चाहिए। इसके निष्कर्ष के आधार पर, क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन के लिए एक विशिष्ट नीति विकसित की जा सकती है। विचाराधीन स्थिति जैसी स्थिति से बचने के लिए उचित नियंत्रण और निगरानी तंत्र के साथ ऐसी नीति आवश्यक है। उम्मीद है कि यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस क्षेत्र में खनन उसी के अनुसार किया जाए उचित रूप से स्वच्छ का उपयोग करते हुए सर्वोत्तम क्षेत्रीय प्रथाओं के साथ

तकनीक "। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

83. ई. ए. सी. की रिपोर्ट से पता चलता है कि पर्यावरण से संबंधित या खनन से संबंधित कोई भी कानून या कानूनी आवश्यकता नहीं है जिसका एक या दूसरे खनन पट्टा धारक द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया हो। स्पष्ट रूप से, गोवा में पर्यावरण कानून का शासन हवा के साथ चला गया था।

84. भूजल के निष्कर्षण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी-वह है केंद्रीय ग्राउंड से निकासी।

जल बोर्ड-लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। प्रस्तुतियों के दौरान, हमें सूचित किया गया कि गोवा में भूजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हालाँकि, जिस बात की अनदेखी की गई है, वह यह है कि खनन कार्यों के साथ भूजल स्तर के प्रतिच्छेदन के साथ, भूजल अपेक्षा से बहुत तेजी से समाप्त हो जाएगा या भूजल की गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। यही कारण है कि एमओईएफ ने जोर देकर कहा कि भूजल के निकासी के लिए मंजूरी केंद्रीय भूजल बोर्ड से ली जानी चाहिए और खनन कार्यों के साथ भूजल स्तर के प्रतिच्छेदन के संबंध में ध्यान रखा जाना चाहिए (ऐसा हुआ)।

46 मामलों में)। दुर्भाग्य से, गोवा राज्य या किसी भी खनन पट्टा धारक द्वारा इन आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और किसी भी खनन पट्टा धारक के पास केंद्रीय भूजल बोर्ड से कोई मंजूरी (जहां आवश्यक हो) नहीं है, या कम से कम किसी को भी हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।

गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

( (iii) बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय

85. उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदकों के दो वर्ग बनाए-जिनके पक्ष में खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था और जिन्होंने सरकार के संदर्भ में आवश्यक स्टांप शुल्क का भुगतान किया था।

21 फरवरी, 2013 का आदेश और जिन्होंने अभी तक अपेक्षित स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया था। 86. जहाँ तक पहली श्रेणी का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उनके पक्ष में खनन पट्टे के निष्पादन का निर्देश दिया:

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3)। यह इस विश्वास पर था कि आवेदकों ने निर्धारित समय अवधि के भीतर दूसरे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था; भारतीय खान ब्यूरो ने इन आवेदकों की खनन योजनाओं को मंजूरी दे दी थी; भारतीय खान ब्यूरो व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट था कि दूसरा नवीनीकरण खनिज विकास के हित में था; और वादा रोकने के सिद्धांतों को देखते हुए ये आवेदक अपने खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण के हकदार थे क्योंकि उन्होंने मांग की गई स्टाम्प शुल्क का भुगतान करके अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया था।

87. जहाँ तक दूसरी श्रेणी (जिन्होंने स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया था) के संबंध में, उच्च न्यायालय ने गोवा राज्य को निर्देश दिया कि वे अपना निर्णय लें।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के प्रावधानों (और स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता) को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की अवधि के भीतर दूसरा नवीनीकरण आवेदन।

88. उच्च न्यायालय के निर्णय में गोवा राज्य के लिए उपलब्ध विकल्पों, अर्थात् खनन के दूसरे नवीनीकरण पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है

पट्टे बनाम प्राकृतिक संसाधन की नीलामी। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि

गोवा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रचार किए गए विचार के बावजूद, उच्च न्यायालय खनन पट्टों की नीलामी की संभावना के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं था। ( iv) खनन पट्टा नीति 2014 का गोवा अनुदान

89. 4 नवंबर, 2014 को घोषित और जारी की गई खनन पट्टा अनुदान नीति शायद पूरी योजना में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यही कारण है कि इसे विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा गया था और इसलिए हमने इसे व्यापक रूप से उद्धृत करने का विकल्प चुना है।

90. [2018] 2 एस. सी. आर. के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बजट भाषण से शुरू होने वाले समकालीन तथ्यों पर विचार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार 10 जुलाई, 2014 को यह स्पष्ट करती है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम में एक संशोधन जल्द से जल्द लागू किया जाना था। खनन पट्टा अनुदान नीति इस बात को नजरअंदाज करती है और इस आधार पर आगे बढ़ती है कि 13 अगस्त, 2014 को दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले ने गोवा सरकार के पास प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खनन पट्टों के अनुदान को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा, भले ही यह सार्वजनिक भलाई के लिए सर्वोत्तम राजस्व प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो। गोवा सरकार ने इसलिए "वर्तमान में" प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की प्रक्रिया को यह ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया था कि

राज्य लगभग धन की कमी से जूझ रहा था और उसे श्रम वर्ग, श्रमिक वर्ग और अन्य कर्मचारियों, खनन इलाकों के बाजारों, सार्वजनिक क्षेत्र, खनन पट्टा धारकों, राज्य की कल्याणकारी जरूरतों, पर्यावरण और राज्य की नाजुक पारिस्थितिकी और गोवा के आम लोगों के कल्याण सहित सभी की समानताओं और जरूरतों को संतुलित करना पड़ता था।

91. गोवा राज्य भी इस तथ्य के लिए जीवित था कि कई (यदि नहीं तो)

सभी) खनन पट्टा धारकों ने खनन पट्टा या कुछ वैधानिक दायित्व की शर्तों का उल्लंघन किया था। इसलिए, अपराधियों को निम्नानुसार वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गयाः

श्रेणी I वे खनन पट्टे होंगे जिनके पास कोई नहीं है।

कानून/नियम/आदेश/अनुमति आदि, और जिन मामलों में राज्य सरकार पट्टा निर्धारित करेगी/उनके आवेदन को अस्वीकार करेगी। दूसरे नवीकरण के लिए '।

92. अपराधों में अयस्क की अवैध बिक्री, अयस्क के बिना रॉयल्टी चालान की बिक्री, आस-पास के क्षेत्रों का अतिक्रमण आदि शामिल हैं।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

पट्टा के बाहर, पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट सीमा से अधिक उत्पादन, अवैज्ञानिक खनन कार्य, रॉयल्टी राशि के भुगतान के संबंध में उल्लंघन, धोखाधड़ी के लिए पुराने रॉयल्टी चालान का पुनः उपयोग, अवैध खनन गतिविधियाँ आदि। इनमें से कोई भी 'न्यूनतम' नहीं है।

जनरल। इसलिए, सैद्धांतिक रूप से, खनन पट्टों के अनुदान की नीलामी नहीं करने का गोवा राज्य का निर्णय त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह आम या सार्वजनिक या सामाजिक भलाई के लिए नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से निजी उद्यमियों के खजाने को भरने में सहायता करता था। हम इस निर्णय को मनमाना बताने की हद तक इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। 94. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मुद्दे से निपटा है क्योंकि यह हमारे सामने प्रचार किया गया था। हम रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं हैं

गोवा राज्य का प्रतिस्पर्धी बोली के लिए नहीं जाने का निर्णय

नए खनन पट्टों का अनुदान क्योंकि हमारे इस निष्कर्ष को देखते हुए कि गोवा राज्य द्वारा नए खनन पट्टों को देने की आवश्यकता थी, यह आवश्यक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

95. इस स्तर पर हमें श्री सी. यू. सिंह द्वारा कुछ खनन पट्टों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति का उल्लेख करना चाहिए।

धारकों। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी, 2015 से पहले एमएमडीआर अधिनियम खनन पट्टों की नीलामी की अनुमति नहीं देता था। इसलिए, भले ही गोवा राज्य नए खनन पट्टों के अनुदान के लिए प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करने का इच्छुक था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उन्होंने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया (जैसा कि यह 2015 में इसके संशोधन से पहले था) जो एक टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस के धारक को पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए एक तरजीही अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया, संदूर मैंगनीज और आयरन ऑरेस लिमिटेड v पर निर्भरता रखते हुए। कर्नाटक राज्य ने कहा कि चूंकि एम. एम. डी. आर. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, इसलिए पट्टा देने की विधि या प्रक्रिया क़ानून और उसके तहत बनाए गए खनिज रियायत नियम, 1960 की सीमा से बाहर नहीं जा सकती है। पैराग्राफ 40 से 43 का संदर्भ दिया गया था

फैसले के बारे में:

" इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में चर्चा की गई और समझाई गई विशिष्ट संसदीय घोषणा को देखते हुए, राज्य के पास नीतिगत निर्णय लेने की कोई शक्ति होने का कोई सवाल ही नहीं है

एमएमडीआर अधिनियम और नियम।

असम राज्य में v. ओम प्रकाश मेहता "7 एस. सी. सी. पैरा 12 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 और एम. सी. नियम, 1960 में संभावित लाइसेंसों के अनुदान और नवीनीकरण के साथ-साथ सरकार से संबंधित भूमि में खनन पट्टों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों की भूमि के संबंध में एक पूर्ण संहिता शामिल है।

पुनः यह न्यायालय खदान मालिकों के संगठन में है। वी. बिहार 28 राज्य ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों संसद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल संसद के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं।

एमएमडीआर अधिनियम और एमसी नियम।

यह राज्य सरकार के लिए खुला नहीं है कि वह एम. एम. डी. आर. अधिनियम के मानदंडों के आधार पर अनुदान को उचित ठहराए।

एमसी नियम। अभ्यास को सख्ती से किया जाना चाहिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार और यदि वहाँ है

किसी भी विचलन को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह निर्माण का सामान्य नियम है कि जब कोई क़ानून कुछ शक्ति निहित करता है

एक प्राधिकरण जिसका प्रयोग एक विशेष तरीके से किया जाना है तो उक्त

26 ( 2010 ) 13 एससीसी 1

27 ( 1973 ) 1 एस. सी. सी. 584 28 ( 2000 ) 8 एस. सी. सी. 655 गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

प्राधिकरण को इसका प्रयोग केवल इसमें दिए गए तरीके से करना है कानून स्वयं। इस सिद्धांत को सी. आई. टी. वी. में दोहराया गया है। अंजुम

एम. एच. घसवाला 2 9 एस. सी. सी. पी. 644 ; कैप्टन सुबे सिंह बनाम। लेफ्टिनेंट.

दिल्ली के राज्यपाल 3 0 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह।

3110

[ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

एन. सी. ई. को रिपोर्ट के पैराग्राफ 44 में भी बनाया जा सकता है जो कहता है

" श्री हरीश एन. साल्वे और श्री दुष्यंत दवे, टिस्को लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए। संघ का

भारत [(1996) 9 एस. सी. सी. 709] ने प्रस्तुत किया कि चूंकि इस न्यायालय ने "कैप्टिव खपत" के आधार पर अनुदान को बरकरार रखा था, इसलिए राज्य सरकार की दिनांक 6-12-2004 की सिफारिश में कोई दोष या त्रुटि नहीं है। उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) से संबंधित है, जिसमें खनन पट्टे का दूसरा नवीनीकरण देने से पहले खनिज विकास के हितों के अत्यंत सामान्य मानदंड पर विचार करने की आवश्यकता है। धारा 11 (3) के विपरीत, कोई और मानदंड निर्दिष्ट नहीं किया गया था और यह इस पृष्ठभूमि में था, इस न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों पर बरकरार रखा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा ध्यान में रखी गई प्रासंगिक सामग्री सही थी।

इसमें "कैप्टिव खपत" शामिल है। तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए उक्त निर्णय का खनन के प्रारंभिक अनुदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है पट्टा जहां केवल अनुमेय मानदंड निर्धारित किए गए हैं

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 (3) में।

96. संदूर मैंगनीज में विवाद खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित है जो धारा 11 के प्रावधानों के विपरीत है एम. एम. डी. आर. अधिनियम में कहा गया है कि एक गैर-वैधानिक मानदंड को एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 के तहत ध्यान में रखा गया था।

आवेदनों का मूल्यांकन करना और खनन पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना। इसे अस्वीकार्य माना गया था और ऐसा हो सकता है। किसी भी स्थिति में, रिपोर्ट का अनुच्छेद 44 यह स्पष्ट करता है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 (3) और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) की आवश्यकताओं के बीच अंतर है। संदूर मैंगनीज लागू नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए।

) 1 एस. सी. सी. 633) 6 एससीसी 440

97. इसी तरह, एम. एम. डी. आर. अधिनियम में संशोधन के लिए 2015 में पेश किए गए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का संदर्भ दिया गया था। इसमें कहा गया था कि "एमएमडीआर अधिनियम, 1957 का वर्तमान कानूनी ढांचा खनिज रियायतों की नीलामी की अनुमति नहीं देता है।"

98. यह निवेदन हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

यह निर्णय लेने के लिए कि क्या गोवा राज्य को खनन पट्टों की नीलामी करनी चाहिए थी या नहीं। गोवा राज्य ने खनन पट्टों को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और हमें केवल यह तय करने के लिए कहा जाता है (i) क्या खनन पट्टों की नीलामी नहीं करने का नीतिगत निर्णय मनमाना था (हम पहले ही मान चुके हैं कि हमें इस पर अंतिम राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है)। हालाँकि, हम याद कर सकते हैं कि खनन पट्टों की गोवा अनुदान नीति इस आधार पर आगे बढ़ी कि खनन पट्टों की नीलामी अनुमत थी और जिसे गोवा फाउंडेशन में अदालत की मंजूरी थी। यह जोड़ा जा सकता है कि एमएमडीआर अधिनियम ने खनन पट्टों की नीलामी को प्रतिबंधित नहीं किया था। ( (ii) क्या दूसरा नवीनीकरण कानून और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार था।

99. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन आवंटन में संविधान पीठ ने इस निवेदन का उल्लेख किया है कि यदि नीलामी की गई थी

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका (जैसा कि सी. पी. आई. एल. से प्रतीत होता है) तब यह जनादेश एम. एम. डी. आर. अधिनियम सहित कुछ कानूनों के साथ टकराव पैदा करेगा। संविधान पीठ ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 83 में इस प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए कहाः

" इसके अलावा, यदि 2 जी मामले 3 2 के फैसले को सभी प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के एकमात्र अनुमेय साधन के रूप में नीलामी आयोजित करने के रूप में पढ़ा जाना है, तो इससे नीलामी के अलावा अन्य तरीकों जैसे कि एमएमडीआर अधिनियम को निर्धारित करने वाले बड़ी संख्या में कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा।

हालाँकि, संविधान पीठ ने एम. एम. डी. आर. अधिनियम के परिणाम का विज्ञापन नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि नीलामी प्राकृतिक संसाधन आवंटित करने की एकमात्र विधि के रूप में अनिवार्य नहीं थी। चूंकि इन मामलों में सवाल नहीं उठता है, इसलिए हम इस मुद्दे पर जाने से इनकार करते हैं-हमें अंततः यह निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या गोवा राज्य को खनन पट्टों की नीलामी करनी चाहिए थी, लेकिन हमें यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या दूसरे नवीनीकरण का अनुदान कानून में मान्य था।

नवीकरण की न्यायिक समीक्षा 100. प्राकृतिक संसाधन आवंटन सहित इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को न्यायिक रूप से समीक्षा करने की अनुमति है,

32 ( 2012 ) 3 एस. सी. सी. 1 द गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

सीमित और सीमित सीमा तक, खनन पट्टा अनुदान नीति, अन्य बातों के अलावा, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के साथ पठित अनुच्छेद 14 की अवहेलना करती है और यदि यह सामान्य या सार्वजनिक या सामाजिक भलाई की अनदेखी करती है, लेकिन निजी उद्यमियों को लाभान्वित करती है, विशेष रूप से जब इसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं, तो राज्य के लिए राजस्व के अधिकतमकरण का त्याग करके।

101. प्राकृतिक संसाधन आवंटन में संविधान पीठ ने कहा कि "प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव एक नीतिगत निर्णय है, और इसके लिए अपनाए गए साधन इस प्रकार, कार्यकारी विशेषाधिकार हैं। हालाँकि, जब इस तरह का नीतिगत निर्णय किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं होता है, और बहुमूल्य और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को अलग-थलग कर दिया जाता है।

102. इसी तरह गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय ने घोषणा की कि "यह राज्य सरकार को नीति के रूप में तय करना है कि भविष्य में खनन पट्टों को किस तरह से दिया जाना है, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय की संवैधानिकता या वैधता की अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच की जा सकती है।" 103. संविधान पीठ के आदेश और गोवा फाउंडेशन में इस अदालत द्वारा की गई घोषणा के बावजूद हम न्यायिक रूप से ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं

खनन पट्टा नीति के अनुदान की समीक्षा करें लेकिन गुण-दोष पर विचार करें कि क्या खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण का अनुदान खनन पट्टा नीति के अनुदान और कानून के अनुसार था।

104. हमारी राय में, खनन पट्टों के नवीनीकरण में, गोवा राज्य ने कई प्रासंगिक और महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया

यह धारणा देने वाले कारक कि नवीनीकरण काफी उचित या उचित नहीं थे। 105. पहला, राज्य ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि प्रत्येक खनन पट्टा धारक ने कुछ-न-कुछ अवैधता की है। इन अवैधताओं की पहचान करने के लिए (हालांकि उनकी पहचान न्यायमूर्ति शाह आयोग और ई. ए. सी. द्वारा पहले ही की जा चुकी थी), एक विशेष जांच

दल के साथ-साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक टीम भी बनाई गई थी। इनमें से किसी एक दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाय, राज्य ने कार्रवाई की

खनन पट्टा अनुदान नीति का उल्लंघन और खनन पट्टों का नवीनीकरण। विशेष जांच दल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया या उसे क्यों नहीं बुलाया गया और उसकी जांच क्यों नहीं की गई? खनन पट्टा देने की नीति में स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) कहा गया थाः

" जब तक और जब तक निर्णय के अनुसार जांच शुरू नहीं की जाती

और उन खदान पट्टा धारकों के खिलाफ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 37 या नियम 38 का उल्लंघन करते पाए गए हैं, या न्यायमूर्ति शाह आयोग/पी. ए. सी. की रिपोर्ट में अन्यथा संकेत दिया गया है या अयस्क की अवैध बिक्री, अयस्क के बिना रॉयल्टी चालान की बिक्री, पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट सीमा से अधिक उत्पादन पर पट्टे के बाहर आस-पास के क्षेत्रों का अतिक्रमण; जिन्होंने अवैज्ञानिक खनन कार्य किए हैं; जिन्होंने रॉयल्टी राशि का उल्लंघन किया है या भुगतान नहीं किया है;

जिन लोगों ने धोखाधड़ी के लिए पुराने रॉयल्टी चालान का फिर से इस्तेमाल किया है और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोग नहीं होंगे खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए विचार किया गया।

इस उद्देश्य के लिए, वर्तमान में विभिन्न स्तरों और मंचों पर जांच चल रही है, जिसमें एस. आई. टी. दल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित चार्टर्ड एकाउंटेंटों की टीम द्वारा और जांच पूरी होने के बाद या जांच के दौरान, जहां यह पाया जाता है कि कोई भी जांच एस. आई. टी. दल द्वारा की जाती है।

उल्लंघन हुआ है, ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे

पट्टों के अनुदान/नवीनीकरण के लिए विचार किया गया। [ जोर दें। हमारे द्वारा प्रदान किया गया]।

106. दुर्भाग्य से, राज्य ने जिस अनुचित जल्दबाजी में काम किया, उससे यह आभास होता है कि वह राज्य के लिए कानून के शासन का त्याग करने को तैयार था।

खनन पट्टा धारकों का लाभ और उनकी आजीविका के लिए समाज के कुछ वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का स्पष्टीकरण (उन्हें दो साल से अधिक समय तक अधर में रखने के बाद) केवल एक अंजीर का पत्ता था। दूसरे नवीनीकरण का वास्तविक उद्देश्य खनन पट्टा धारकों के लालच को संतुष्ट करना था जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के माध्यम से किए जाने वाले लाभ से प्रेरित थे। 107. अनुचित जल्दबाजी को खनन पट्टों के अनुदान के अंतिम पैराग्राफ में दिए गए बयान के संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है

इस नीति के प्रभाव के लिए कि यह नीति एक सैद्धांतिक निर्णय है और कानूनी आवश्यकताओं के लिए इसकी जांच के बाद अधिसूचित की जाएगी आवश्यकताएँ और वित्तीय दृष्टिकोण से भी। दूसरे शब्दों में, 4 नवंबर, 2014 को प्रकाशित खनन पट्टा अनुदान नीति एक अंतिम नीतिगत विवरण नहीं था, बल्कि केवल एक इरादा था जो उचित जांच के बाद अंतिम रूप लेगा। खनन पट्टा अनुदान नीति अंततः 20 जनवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी, लेकिन राजपत्रित होने से पहले ही इस पर कार्रवाई की गई थी।

108. इस जल्दबाजी के लिए एक आंशिक स्पष्टीकरण, यदि हम सुझाव देने का साहस करते हैं, तो यह है कि गोवा राज्य 17 नवंबर, 2014 को (हर किसी की तरह) भारत सरकार की खनन पट्टों के अनुदान की नीलामी करने की नीति से अवगत था, जो उस तारीख को सार्वजनिक डोमेन में नीति उपलब्ध कराई गई थी और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। 17 नवंबर, 2014 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2014 का मसौदा भारत सरकार के खान मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। भारत सरकार की नीति ने एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से धारा 10 बी को लागू करने का प्रस्ताव किया और प्रस्तावित संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो अधिसूचित खनिजों (लौह अयस्क सहित) के संबंध में खनन पट्टों की नीलामी एक वास्तविकता बन जाएगी, यदि यह एक दायित्व नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस असुविधाजनक नीति को दरकिनार करने के लिए, राज्य ने खनन पट्टा धारकों को लाभान्वित करने के लिए दिसंबर 2014 से खनन पट्टों के नवीनीकरण पर त्वरक पर दबाव डाला। इतना कि 5 खनन पट्टों के संबंध में, राज्य ने कानून का उल्लंघन किया और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य प्राधिकरण से खनन योजना की किसी भी अनुमोदन या मानित अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना जनवरी 2015 की शुरुआत में कुछ संस्थाओं को दूसरा नवीनीकरण प्रदान किया। 109. घटनाओं का यह क्रम तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह याद किया जाता है कि एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश बनाया गया था

5 जनवरी, 2015 को आम जनता को सूचित किया गया और 12 जनवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया, जिससे खनन पट्टों के अनुदान के लिए प्रतिस्पर्धी बोली या नीलामी अनिवार्य हो गई। गोवा राज्य ने संभवतः खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2014 के मसौदे के प्रकाशन को देखते हुए इसका अनुमान लगाया था और इसलिए जल्दबाजी में नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत को विफल करने के लिए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण (खनन पट्टा नीति के अनुदान के बावजूद)। वास्तव में

5 जनवरी, 2015 से 12 जनवरी, 2015 की अवधि में गोवा सरकार ने 56 खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण किया और 17 नवंबर, 2014 से गोवा राज्य ने 75 खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण किया। खनन पट्टों के नवीनीकरण में अचानक आई तेजी समझ से परे है। लिथोफेरो में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश का उपयोग जल्दबाजी को समझाने के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है।

110. इन तथ्यों की सराहना इस संदर्भ में भी की जानी चाहिए कि गोवा में खनन कार्यों को 10 सितंबर से निलंबित कर दिया गया था।

2012 गोवा राज्य द्वारा पारित एक आदेश के कारण। इसलिए, दो साल से अधिक समय से खनन कार्य निलंबित होने के कारण, राज्य [2018] 2 एस. सी. आर.

निश्चित रूप से कुछ सप्ताह और इंतजार किया जा सकता था और खनन पट्टों को दूसरा नवीनीकरण देने पर एक सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन कुछ हफ्तों तक इंतजार करने से एक असहज स्थिति पैदा हो सकती थी जो गोवा राज्य को खनन पट्टों की नीलामी करने के लिए मजबूर कर सकती थी, इसलिए जल्दबाजी।

111. यह न्यायालय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम संघ का

भारत 3 3 कि एमएमडीआर अधिनियम 3 4 34 की धारा 8 (3) के प्रयोजनों के लिए

'खनिज विकास' की अवधारणा में कैप्टिव खनन की अवधारणा, विभिन्न उद्योगों द्वारा इसकी आवश्यकता का आकलन करने के साथ-साथ न्यायसंगत वितरण (संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत) का सिद्धांत शामिल है। हमारे सामने दर्ज अभिलेखों से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि

राज्य ने इन और अन्य कारकों पर अपना दिमाग लगाया था, जिसमें न्यायमूर्ति शाह की रिपोर्ट, ई. ए. सी. की रिपोर्ट, घरेलू उद्योग में किसी भी मूल्यवर्धन का अभाव और पर्यावरण का क्षरण शामिल था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि दूसरा नवीनीकरण 'खनिज विकास के हित में' था। भारतीय खान ब्यूरो की स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति पर केवल निर्भरता पर्याप्त नहीं है, जैसा कि गोवा राज्य द्वारा कल्पना की गई है। 'खनिज विकास के हितों' के मामले पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए न कि अलगाववादी तरीके से।

112. इस संदर्भ में यह भी बताना आवश्यक है कि

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में प्रावधान किया गया था किः " तुलनात्मक लाभ से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जो देश अंतर-खनिज विकास का आनंद लेता है, उसे आयात प्रतिस्थापन, मूल्य के संदर्भ में प्राथमिकता दी जाएगी।

जोड़ और निर्यात, उस क्रम में "। मान लीजिए, लौह अयस्क नहीं निकाला जाता है।

33 ( 1996 ) 9 एस. सी. सी. 709

34 4 " 8 . जिन अवधियों के लिए खनन पट्टे दिए जा सकते हैं या उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। - ( 1 ) अधिकतम अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है वह तीस वर्ष से अधिक नहीं होगीः

बशर्ते कि न्यूनतम अवधि जिसके लिए ऐसा कोई खनन पट्टा दिया जा सकता है, बीस वर्ष से कम नहीं होगी।

( 2 ) खनन पट्टा को बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ( 3 ) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय है कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह दर्ज किए जाने वाले कारणों से, पहली अनुसूची के भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट नहीं किए गए खनिजों के संबंध में खनन पट्टे के नवीनीकरण को आगे की अवधि या प्रत्येक मामले में बीस साल से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत कर सकती है। ( 4 ) उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट खनिज के संबंध में दिए गए

किसी भी खनन पट्टे का नवीनीकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा नहीं किया जाएगा। गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

गोवा में आयात प्रतिस्थापन, या घरेलू उद्योग के लिए मूल्यवर्धन के लिए, लेकिन केवल अंतिम विकल्प, यानी निर्यात के लिए। क्या यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि लौह अयस्क का निर्यात खनिज विकास के हित में है? हमें बताया गया कि खनन पट्टा धारकों में से केवल एक ही निकाले गए लौह अयस्क का उपभोग करता है और खनिज नीति से यह स्पष्ट है कि अन्य राज्यों में कुछ समय के लिए खनन कार्य बंद होने के बावजूद, गोवा से लौह अयस्क का उपयोग घरेलू इस्पात उद्योग में नहीं किया गया था। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि निर्यात करने वाले खनन पट्टा धारकों के अलावा, दूसरे नवीनीकरण के माध्यम से गोवा में खनन कार्यों को फिर से शुरू करने से किसे लाभ हुआ।

113. खनिज नीति स्पष्ट रूप से बताती है कि 2006 और 2012 के बीच पांच वर्षों की अवधि के लिए खनन पट्टा धारकों ने खनन प्रक्रिया में विभिन्न अवैधताओं और अनियमितताओं को अंजाम दिया। यह उनके शोषणकारी और अत्याचारी रवैये का संकेत है कि उन्हें पर्यावरण, गोवा की नाजुक पारिस्थितिकी या यहां तक कि औसत गोवा के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत कम या कोई चिंता नहीं है। यह अपूरणीय क्षति खनन पट्टा धारकों द्वारा घरेलू उद्योग को बिना किसी लाभ के की जा रही थी। इसलिए, भले ही खनन पट्टा धारकों ने घरेलू उद्योग में वस्तुतः कुछ भी योगदान नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने निर्यात के माध्यम से काफी लाभ कमाया हो और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी लाभ पहुंचाया हो, लेकिन गोवा के औसत लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को वास्तविक समय में नुकसान और गोवा के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान, फिर भी अतुलनीय या कम से कम काफी है-और निर्यात लाभों को स्वास्थ्य या पर्यावरण के खिलाफ नहीं आंका जा सकता है।

114. खनन पट्टाधारकों की संपूर्ण वाणिज्यिक गतिविधि के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका कोई सामाजिक या सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था खनन कार्यों से जुड़ा हुआ। खनन गतिविधि के पीछे एक ही उद्देश्य था और वह था अधिकतम लाभ प्राप्त करना। खनन पट्टों के नवीनीकरण से खनन पट्टा धारकों को राज्य या गोवा के औसत निवासी को होने वाले लाभों से कहीं अधिक लाभ होगा। यह न्यायमूर्ति खेहर द्वारा प्राकृतिक में देखा गया था।

संसाधन आवंटन कि देश के भौतिक संसाधनों को मुफ्त में या उनके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में नहीं रखा गया और स्टाम्प शुल्क और रॉयल्टी के एक छोटे से भुगतान के लिए खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया। यह स्पष्ट है कि

राज्य के विचार गोवा के लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि खनन पट्टा धारकों के लिए थे। इसे निश्चित रूप से "खनिज विकास के हित में" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

115. खनन पट्टा धारकों ने लगभग हर बार उल्लंघन किया है

लागू कानून या कानूनी आवश्यकता, यह स्पष्ट है कि कानून का शासन उनकी चिंता नहीं थी। उल्लंघनों की सूची और उनकी विविधता को ई. ए. सी. द्वारा प्रलेखित किया गया था और यह कुछ बहुत दुखद पढ़ने के लिए बनाता है। मामले को और खराब करने के लिए, खनन पट्टे देने की नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि एक विशेष जांच दल और चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक टीम सभी उल्लंघनों की जांच करेगी, लेकिन राज्य ने किसी भी उल्लंघन की प्रतीक्षा नहीं करने का फैसला किया।

रिपोर्टों से। इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

116. इस पृष्ठभूमि में, यह बताने के लिए बहुत कम है कि राज्य ने एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) की आवश्यकताओं पर विचार किया कि खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण करते समय खनिज विकास के हित गौण थे। कानून के उल्लंघन की परवाह किए बिना, राज्य द्वारा की गई पूरी कवायद जल्दबाजी में की गई थी।

खनन पट्टा धारक, भारतीय उद्योग के लिए किसी भी लाभ के बिना और औसत गोवा के स्वास्थ्य के लिए किसी भी चिंता के बिना।

117. विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा एम. एम. डी. आर. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों (खनन पट्टों की नीलामी से संबंधित) को सार्वजनिक किए जाने के बाद जिस अनुचित जल्दबाजी में राज्य ने खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण किया, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य का निर्णय प्रासंगिक सामग्री पर आधारित नहीं था और जरूरी नहीं कि खनिज विकास के हितों से प्रेरित था। तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त अवधि में दी गई बहुत बड़ी संख्या में नवीनीकरण एक स्पष्ट संकेत है कि खनन पट्टों को दूसरा नवीनीकरण देने का निर्णय लेते समय राज्य के दिमाग में 'खनिज विकास' नहीं था, बल्कि कुछ अन्य गैर-वैधानिक हित थे। जिस जल्दबाजी में राज्य ने अपना निर्णय लिया, उसे इस तथ्य की पृष्ठभूमि में भी समझने की आवश्यकता है कि राज्य द्वारा सितंबर 2012 में खनन को निलंबित कर दिया गया था, जो कि दूसरे नवीनीकरण के अनुदान से दो साल से अधिक समय पहले है। इसलिए राज्य द्वारा अचानक प्रदर्शित तात्कालिकता वास्तविक होने के बजाय विश्वास और प्रेरित प्रतीत होती है।

118. अभिलेख के तथ्य भी कुछ दिलचस्प तथ्यों का खुलासा करते हैं।

खनन पट्टों के दूसरे नवीनीकरण के बारे में जानकारी। नीचे दी गई तालिका से संकेत मिलता है कि 13 खनन पट्टों को छोड़कर, अन्य सभी को खनन और खनिज (विकास और विकास) के मसौदे के प्रकाशन के बाद नवीनीकृत किया गया था।

विनियमन) अधिनियम, 2014 17 नवंबर, 2014 को। तालिका नीचे दी गई है और स्वयं व्याख्यात्मक हैः

गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

खनन पट्टा

अवधि

नवीनीकरण किया गया

5-17 नवंबर, 2014 के बीच

13

10 दिसंबर, 2014 से 2 दिसंबर के बीच

19

जनवरी, 2015

5-12 जनवरी, 2015 के बीच

56

कुल

88

31

12 जनवरी, 2015 को

119. नवंबर 2014 में नवीनीकरण किए गए 13 खनन पट्टों में से यह है -

पता चला कि गोवा राज्य के अनुसार वे सभी श्रेणी-I के उल्लंघनकर्ता हैं (गीताबाला एम. एन. पारुलेकर को छोड़कर जो श्रेणी-II के हैं)।

उल्लंघनकर्ता)। हालाँकि, गोवा फाउंडेशन की ओर से पेश विद्वान वकील ने यह बताया कि विश्वनाथ आनंद ई. ए. सी. की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 6 खनन पट्टा धारकों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की गई थी; इसके अलावा, किसी भी खनन पट्टा धारकों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी नहीं थी (जहां आवश्यक हो); उन सभी ने (2 को छोड़कर) पर्यावरण मंजूरी के तहत अनुमेय सीमा से अधिक खनन किया था; उन सभी ने डंप खनन में लिप्त थे; उनमें से कुछ अतिक्रमण के दोषी थे; लगभग हर मामले में खनन गतिविधि भूजल स्तर को काटती थी और किसी भी खनन पट्टा धारकों को भूजल निकासी की अनुमति नहीं थी। इन्हें मामूली उल्लंघनों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है लेकिन वास्तव में लगभग सभी मामलों में कई उल्लंघन थे। कैसे हो सकती है स्थिति

गोवा और एम. ओ. ई. एफ. इन सिफारिशों और कई उल्लंघनों को नजरअंदाज करते हैं?

120. यह स्मरणीय है कि खान और खनिज (विकास)

और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 12 जनवरी, 2015 को लागू हुआ और उस दिन 31 खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया। जनवरी, 2015 में नवीनीकृत 5 खनन पट्टों के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो से रिपोर्ट जनवरी, 2015 में ही मांगी गई थी और खनन पट्टों का नवीनीकरण भारतीय खान ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त किए बिना और खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 24 ए (3) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य अवधि समाप्त होने से पहले किया गया था। दूसरे शब्दों में, भारतीय खान ब्यूरो से कोई रिपोर्ट प्राप्त किए बिना और वैधानिक प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले भी, गोवा राज्य ने कुछ नवीनीकरण किए।

खनन पट्टे। यह स्पष्ट रूप से अवैध है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

121. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि जिन 88 खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया था, उनमें से 38 नहीं हैं। विभिन्न कारणों से काम करना-उनके नवीनीकरण को एक खाली अभ्यास बनाना।

122. इन तथ्यों का उल्लेख खनन को दूसरा नवीनीकरण देने में गोवा राज्य द्वारा दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी के संदर्भ में किया गया है।

निम्नलिखित तिथियों को ध्यान में रखते हुए पट्टाः

17 नवंबर, 2014-खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2014 का मसौदा भारत सरकार के खान मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। 5 जनवरी, 2015-खानों और खनिजों को मंजूरी

( भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 सार्वजनिक हो गया।

12 जनवरी, 2015-भारत के राष्ट्रपति ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन की घोषणा की। अध्यादेश, 2015।

123. यह संभव है कि राज्य में कुछ गंभीर शासन था

खनन पट्टा नीति के अनुदान में उल्लिखित मुद्दों, अर्थात्, चूंकि लौह अयस्क खनन दो साल से अधिक समय से निलंबित था, राज्य को धन की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों को शुरू करने में कठिनाई हुई। राज्य ने किया था खनन क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर एक बड़ी आबादी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए भी। इसके अतिरिक्त, परिवहन क्षेत्र के साथ-साथ घाटों से नदियों के माध्यम से परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली नौकाएं भी प्रभावित हुईं। खनन कार्यों के बंद होने से छोटे व्यवसाय या छोटे वाणिज्यिक उद्यमों और श्रमिकों/श्रमिकों सहित कई श्रेणियों के हितधारक प्रभावित हुए। द ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज पॉलिसी में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्यात के माध्यम से लगभग 8 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान हुआ है। 850 विभिन्न गतिविधियों के लिए खनन क्षेत्र पर ऋण/अग्रिम के लिए करोड़ रुपये के साथ-साथ लगभग रु। 1000 आवास, व्यवसाय और अन्य ऋणों के लिए रु। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई जिसका प्रभाव शिक्षा क्षेत्र आदि पर भी पड़ा।

124. राज्य ने आभासी अराजकता का अनुमान लगाया है (जो एक अतिशयोक्ति हो सकती है) लेकिन यही कारण है कि हमने नीतिगत निर्णय की मनमानी के मुद्दे को खुला छोड़ दिया है। फिर भी राज्य कानून द्वारा बाध्य है, हालांकि गोवा फाउंडेशन v की धारा के संदर्भ में दूसरा नवीनीकरण देने में असहज हो सकता है।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

8 ( 3 ) एमएमडीआर अधिनियम। इसलिए, मामले के सभी पहलुओं पर समग्र विचार करने पर, हमारी राय है कि राज्य का निर्णय -

गोवा का एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 8 (3) की आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से पालन करते हुए खनन पट्टों को जल्दी से नवीनीकृत करना और इस तरह कानून के शासन को समाप्त करना अनुचित था।

125. यह सवाल कि क्या खनन पट्टा धारकों को नई पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है, अनुच्छेद 82 के संदर्भ में उत्पन्न होता है। ऊपर उद्धृत गोवा फाउंडेशन में दिया गया निर्णय। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि कुछ खनन पट्टा धारकों के पास ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी थी जबकि अन्य के पास ई. आई. ए. 2006 के तहत। इसके बावजूद, चूंकि हमने माना है कि नए खनन पट्टे दिए जाने की आवश्यकता है, इसलिए जिन लोगों को नए खनन पट्टे दिए गए हैं, उन्हें नए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

126. इसके अलावा, गोवा फाउंडेशन का फैसला करते समय अदालत के समक्ष मौजूद सामग्री में न्यायमूर्ति शाह आयोग की रिपोर्ट शामिल थी।

ई. ए. सी. की रिपोर्ट और गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

न्यायालय द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2013 और 18 नवंबर, 2013 के आदेशों द्वारा। उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के संयुक्त अध्ययन पर, न्यायालय ने एक व्यापक दृष्टिकोण लिया कि लौह अयस्क के बड़े पैमाने पर खनन से गोवा के लोगों के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और ये अवैधताएं और अनियमितताएं लगभग सभी (यदि सभी नहीं तो) खनन पट्टा धारकों द्वारा की गई थीं, जैसा कि ई. ए. सी. द्वारा बताया गया है। न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति के इस विचार को भी स्वीकार किया कि अंधाधुंध खनन के माध्यम से गोवा की पारिस्थितिकी का क्षरण किया जा रहा है और लौह अयस्क की वार्षिक खुदाई पर एक सीमा रखी। यह नोट किया गया कि 22 नवंबर, 2007 के बाद गोवा में पट्टेदारों द्वारा खनन अवैध था और गोवा राज्य द्वारा 10 सितंबर, 2012 को खनन कार्यों को निलंबित कर दिया गया था और खानों को दी गई पर्यावरण मंजूरी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर, 2012 को स्थगित कर दिया गया था। इन सब के साथ-साथ गोवा फाउंडेशन में इस आशय के कानून को ध्यान में रखते हुए कि खनन पट्टे का कोई स्वचालित दूसरा नवीनीकरण नहीं है, लेकिन यह कि दूसरा नवीनीकरण एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के प्रावधानों के अनुसार दिया जाना चाहिए, अदालत ने मार्ग में "खनन परियोजनाओं के लिए नई पर्यावरण मंजूरी प्रदान करें" अभिव्यक्ति का उपयोग किया।

ऊपर उल्लिखित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

127. हम पहले ही ई. ए. सी. की रिपोर्ट को स्वीकार कर चुके हैं। जहाँ तकन्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति संबंधित है, उसने 14 मार्च, 2014 की रिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उसने पर्यावरण के बड़े पैमाने पर क्षरण का उल्लेख किया था और लौह अयस्क के निष्कर्षण पर वार्षिक 20 से 27.5 लाख टन के बीच रखने की सिफारिश की थी।

गोवा में उत्पादन अनिवार्य रूप से भारी वृद्धि के कारण था। चीन को 42 प्रतिशत फी सामग्री के महीन और अन्य निम्न श्रेणी के अयस्क का निर्यात। इससे सभी पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

पारिस्थितिकी तंत्र जिससे हवा, पानी और मिट्टी में वृद्धि होती है

पूरे गोवा में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रदूषण। यह बात स्पष्ट है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र, ओटावा, कनाडा (2006) और (iii) एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित गोवा क्षेत्र में लौह अयस्क खनन का क्षेत्रीय पर्यावरण प्रभाव अध्ययन। ( 2014 ) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स। उपरोक्त तीन मुख्य रिपोर्टों के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर लौह अयस्क खनन के प्रभाव पर कई वैज्ञानिक शोध पत्र।

पारिस्थितिकी तंत्र गोवा में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित किए गए थे। विश्वविद्यालय और एन. आई. ओ.

ये रिपोर्ट और प्रकाशन इस बात की पुष्टि करते हैं कि

खनन, विशेष रूप से वार्षिक स्तर में वृद्धि

उत्पादन ने प्रतिकूल प्रभावों में योगदान दिया

पारिस्थितिकी प्रणालियाँ, गोवा का सामाजिक-अर्थशास्त्र और गोवा का स्वास्थ्य

गोवा के लोग पारिस्थितिक अखंडता को खो देते हैं। यह प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर, विशेष रूप से आर. एस. पी. एम. और एस. पी. एम., नदियों में डंप और लौह अयस्क से सामग्री के अवसादन, गोवा फाउंडेशन v के कारण है।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

ज्वारनदमुख और उथली गहराई (20 मीटर) समुद्री जल, कृषि

क्षेत्र, सतही जल में फे और एमएन की उच्च सांद्रता और उनका जैव संचय। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

128. अपने समक्ष इस भौतिक साक्ष्य का सामना करते हुए, न्यायालय ने गोवा फाउंडेशन में यह विचार रखा कि नई पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है

प्राप्त किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, गोवा राज्य गोवा के लोगों के स्वास्थ्य या कानून के शासन को लागू करने के बजाय राजस्व अर्जित करने के बारे में अधिक चिंतित था और इसलिए इस न्यायालय के निर्देशों और गोवा के नागरिकों की चिंताओं को पूरी तरह से मंजूरी दे दी और पर्यावरण मंजूरी पर रोक हटाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया।

129. गोवा राज्य द्वारा 7 जनवरी, 2015 और 5 फरवरी, 2015 के पत्रों द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, एम. ओ. ई. एफ. ने 20 मार्च, 2015 को तीन आदेश पारित किए। हम पहले ही 20 मार्च, 2015 को पारित आदेशों की सामग्री के बारे में बता चुके हैं।

130. 20 मार्च, 2015 का पहला आदेश अनिवार्य रूप से एक

खनन पट्टा धारकों द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की अवैधताओं और अनियमितताओं का दस्तावेजीकरण करते हुए संचार और यह कि भारत सरकार उचित कार्रवाई के लिए मामलों को भेजेगी और गोवा सरकार में प्रधान सचिव, पर्यावरण से भी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगी।

131. 20 मार्च, 2015 का दूसरा आदेश इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन है कि किसी परियोजना प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होगी

खनन पट्टा के नवीनीकरण के समय एक नई पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना। यह भ्रामक जानकारी है और एम. सी. मेहता बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है। भारत संघ 35 के साथ-साथ सामान्य कारण v में दिया गया निर्णय। भारत संघ। 36

132. यह अंबिका क्वारी वर्क्स बनाम में आयोजित किया गया था। गुजरात राज्य 3 7, ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केंद्र बनाम। U.P.38 की स्थिति और राज्य

एम. पी. बनाम कृष्णदास टीकाराम 3 9 39 (एम. सी. मेहता में जिन निर्णयों का पालन किया गया था) कि पट्टा का नवीनीकरण, चाहे वह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत हो या अन्यथा पट्टा धारक को आवश्यक वैधानिक का पालन किए बिना नहीं दिया जा सकता है।

37 ( 1987 ) 1 एससीसी213 38 1989 सप्लीमेंट (1) एससीसी 504

39 1995 पूरक (1) एससीसी 587 [2018] 2 एस. सी. आर.

आवश्यकताएँ विशेष रूप से क्योंकि नवीकरण का अनुदान एक नया अनुदान है और कानून के अनुरूप होना चाहिए। पट्टे के नवीनीकरण के चरण में वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के सिद्धांत को सामान्य में फिर से पुष्टि की गई थी।

रिपोर्ट के पैराग्राफ 105 और 106 में कारण। रिपोर्ट के पैराग्राफ 188 (2) में इसे स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" ( 2 ) 27-1-1994 के बाद खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक ईसी की आवश्यकता होगी, भले ही कोई विस्तार या आधुनिकीकरण गतिविधि या प्रदूषण भार में कोई वृद्धि न हो।

133. 20 मार्च, 2015 का तीसरा क्रम बेहद गुप्त है।

पर्यावरण मंजूरी पर 14 सितंबर, 2012 के स्थगन आदेश को हटाने का मामला। 35 खनन पट्टों, जिनके लिए ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी दी गई थी और 37 खनन पट्टों, जिनके लिए ई. आई. ए. 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, के बारे में निम्नलिखित कहा गया हैः

" मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया है कि 1994 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए निर्वाचन आयोग को यदि वे वैध हैं और अस्तित्व में हैं तो नवीनीकरण (ओ. एम. एल.-11011/15/2012-आई. ए.-II (एम) दिनांक 20.3.2015 के समय नए निर्वाचन आयोग की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उन 72 मामलों पर रोक हटाने का निर्णय लिया गया है जिनमें से 35 मामलों को रद्द कर दिया गया था।

ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के तहत ई. सी. प्रदान किया गया था और ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 के तहत 37 मामलों को ई. सी. प्रदान किया गया था।

[ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

134. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और जैसा कि एम. सी. मेहता और कॉमन कॉज में कहा गया है, 27 जनवरी, 1994 के बाद पट्टे के नवीनीकरण के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसलिए, ई. आई. ए. 1994 के तहत प्राप्त वैध पर्यावरण मंजूरी रखने वाले खनन पट्टा धारक को 2014 में खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए अभी भी एक नई पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी।

2015 जैसा कि मामला हो सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 20 मार्च, 2015 के तीसरे आदेश में जिन 35 मामलों को संदर्भित किया गया था, जिनके पास ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी थी, उन्हें खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय एक नई पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता थी। चूंकि उनके पास इस तरह की नई पर्यावरण मंजूरी नहीं थी, इसलिए इन 35 खनन पट्टों का नवीनीकरण स्पष्ट रूप से कानून में खराब है। इसके अलावा, जैसा कि एम. सी. मेहता और कॉमन कॉज में कहा गया है कि ई. आई. ए. 1994 के तहत दी गई पर्यावरण मंजूरी की वैधता केवल पांच साल के लिए है। इसलिए सभी पर्यावरणीय

ई. आई. ए. 1994 के तहत दी गई मंजूरी 2015 से पहले अपनी वैधता खो चुकी थी, ई. एल. ए. 1994 को ई. आई. ए. 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

135. ई. आई. ए. 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने वाले 37 खनन पट्टों के संबंध में, क्योंकि पर्यावरण मंजूरी की वैधता अनुमानित परियोजना जीवन या ई. आई. ए. 2006 के पैराग्राफ 9 के संदर्भ में अधिकतम 30 वर्षों के लिए है, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं है।

गोवा राज्य। नतीजतन, एक नया खनन पट्टा प्राप्त करने वाले खनन पट्टा धारक को ई. आई. ए. के संदर्भ में एक नई पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी। 2006 .

136. परेशान करने वाली बात यह है कि कई और विभिन्न उल्लंघनों के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय ने 72 खनन पट्टों को पर्यावरण मंजूरी दे दी है। हमें ऐसा लगता है कि पर्यावरण मंत्रालय ने सभी पर्यावरणीय मंजूरी को स्थगित करने के आदेश को हटाने में बिना किसी समझदारी के काम किया। चूंकि 20 मार्च, 2015 को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा की गई पूरी कवायद यांत्रिक थी, गोवा राज्य के कहने पर, बिना किसी विवेक के, कई अवैधताओं और अनियमितताओं पर विचार किए बिना।

ई. ए. सी. और इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जैसी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किए बिना, एम. ओ. ई. एफ. द्वारा 20 मार्च, 2015 को स्थगन आदेश को हटाने की कवायद को अमान्य ठहराया जाना चाहिए और गोवा फाउंडेशन में अदालत के निर्देश के अनुसार सभी खनन पट्टा धारकों को अपनी खनन परियोजना के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

137. हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सूचित किया गया था कि अब कुछ खनन पट्टों को कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए हैं

( लगभग 12) सितंबर और अक्टूबर 2017 में जारी किए गए और आंकड़े काफी चौंका देने वाले हैं-की गई मांग लगभग रु। 1500 करोड़! इसी तरह, लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत खनन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के सारांश (और जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 की अवधि के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा हमें सौंपी गई) से गोवा राज्य द्वारा खनन पट्टा धारकों से कारण बताए नोटिस के माध्यम से मांगी गई राशि (ब्याज सहित) लगभग रु। 1500 करोड़! और इतनी बड़ी राशि की वसूली के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना, [2018] 2 एस. सी. आर.

गोवा राज्य ने खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण किया है और एम. ओ. ई. एफ. ने इस संबंध में स्थगन आदेश को हटा दिया है

पर्यावरण मंजूरी। जिन निष्कर्षों को निकाला जा सकता है वे काफी स्पष्ट हैं।

139. अंत में, पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि के संबंध में एक विवाद (हमारे विचार में पूरी तरह से अनावश्यक) उठाया गया था। ई. आई. ए. 1994 के तहत प्रदान किया गया। सबसे पहले, हमने जो विचार लिया है, ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी की वैधता अवधि अकादमिक है क्योंकि पट्टे के नवीनीकरण के समय एक नई पर्यावरण मंजूरी आवश्यक थी। दूसरा, एम. सी. मेहता में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि पर विचार किया गया था और यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि

यह केवल 5 साल के लिए वैध है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 77 में यह कहा गया थाः

" हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 27-1-1994 की अधिसूचना उन पट्टों पर लागू नहीं होगी जो अधिसूचना जारी होने के बाद नवीनीकरण के लिए विचार के लिए आते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक भारत के किसी भी हिस्से में खनन कार्य नहीं किया जाएगा। अधिसूचना के तहत मंजूरी पांच साल की अवधि के लिए वैध है। किसी भी पट्टे में अधिसूचना की आवश्यकताएं गोवा फाउंडेशन v नहीं थीं।

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

खनन पट्टा के प्रारंभिक अनुदान के चरण में या नवीनीकरण के चरण में अनुपालन किया गया। कुछ पट्टे अधिसूचना जारी होने के बाद दिए गए नए पट्टे थे। कुछ नवीनीकरण के मामले थे। अधिसूचना के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राप्त किए बिना कोई भी खनन कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। [ हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

समान दृष्टिकोण सामान्य कारण में अनुच्छेद 87 में व्यक्त किया गया था। एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना में व्यक्त कोई भी विपरीत विचार (15 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सहित) इस न्यायालय के फैसलों को खारिज नहीं कर सकता है और इस हद तक अमान्य है कि वह ऐसा करता है। 140. यह प्रस्तुत किया गया था कि इस विषय पर सभी प्रासंगिक अधिसूचनाएं न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई थीं और इसलिए ई. आई. ए. 1994 के संबंध में एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा गया था। हम अपने सामने रखी गई अधिसूचनाओं से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

141. 27 जनवरी, 1994 (ई. आई. ए. 1994) की अधिसूचना पैराग्राफ 2 में साइट मंजूरी से संबंधित है। II (डी)। यह, अन्य बातों के साथ, उस साइट को प्रदान करता है

केंद्र सरकार द्वारा खनन संचालन के लिए मंजूरी दी जाएगी और वह साइट मंजूरी पांच की अवधि के लिए मान्य होगी।

पर्यावरण मंजूरी, लेकिन पर्यावरण मंजूरी की वैधता अवधि प्रदान नहीं करते हैं। 142. 4 मई, 1994 की एक अधिसूचना 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना को संदर्भित करती है और पैराग्राफ 2 को प्रतिस्थापित करती है। III (ग) इसमें प्रावधान है कि पर्यावरण मंजूरी "पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी।

निर्माण या संचालन की शुरुआत से। इसलिए, यह प्रदान करता है कि यदि किसी विशेष तिथि पर पर्यावरण मंजूरी दी जाती है और खनन कार्य बाद की तारीख से शुरू होता है, तो पर्यावरण मंजूरी की वैधता बाद की तारीख से शुरू होती है और उस तारीख से पांच साल के लिए वैध होती है। 10 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना में इसे दोहराया गया था। 143. पर्यावरण मंजूरी की वैधता विशेष रूप से ई. आई. ए. 2006 में उसके पैराग्राफ 9 में प्रदान की गई है। जहाँ तक हम हैं

संबंधित, यह प्रदान करता है कि खनन कार्यों के संबंध में,

पर्यावरण मंजूरी "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा अनुमानित परियोजना जीवन" के लिए मान्य होगी।

खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के अधीन समिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

144. बिना किसी स्पष्ट कारण के और ई. आई. ए. 2006 के बाद,

ई. आई. ए. 1994 के तहत दी गई पर्यावरण मंजूरी की वैधता को उठाया गया था और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त, 2013 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 4 मई, 1994 की अधिसूचना में प्रावधान किया गया था कि "दी गई मंजूरी निर्माण या संचालन शुरू होने से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी"। 21 अगस्त, 2013 की एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का इरादा हमेशा से रहा है और रहा है कि पर्यावरण मंजूरी की वैधता "निर्माण या संचालन शुरू करने के लिए" पांच साल के लिए है, न कि पर्यावरण मंजूरी "निर्माण या संचालन शुरू होने से" केवल पांच साल के लिए है। इसलिए, केंद्र सरकार ने 21 अगस्त, 2013 की अधिसूचना में स्पष्ट किया कि "पांच साल की अवधि के लिए" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा "निर्माण शुरू करने के लिए पांच साल की अवधि के लिए या

संचालन और निर्माण या संचालन शुरू होने के पांच साल बाद नहीं। हम यह नहीं देखते कि यह विवाद वास्तव में कैसे उत्पन्न होता है या वर्तमान मामले में इसकी प्रासंगिकता क्या है, लेकिन हम इसका उल्लेख करते हैं क्योंकि पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता के संबंध में "पांच साल" और "पांच साल" के बीच के अंतर को समझाने के लिए प्रस्तुतियाँ की गई थीं।

145. शायद यह तर्क दिया जाना चाहिए कि यदि पर्यावरण

मंजूरी दी जाती है और पांच साल की अवधि के भीतर खनन कार्य शुरू हो जाता है, फिर ई. आई. ए. 1994 के तहत पर्यावरण मंजूरी मान्य है। जब तक परियोजना या खनन पट्टा अवधि समाप्त नहीं हो जाती। हम यह नहीं देख सकते कि इस तरह का निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा, यह निवेदन एम. सी. मेहता और कॉमन कॉज के फैसलों की अनदेखी करता है जो इस विचार को स्वीकार करते हैं कि ई. आई. ए. 1994 के तहत दी गई पर्यावरण मंजूरी की वैधता केवल पांच साल है और यह भी विचार है कि खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक वैध पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। कोई अधिसूचना नहीं

एम. ओ. ई. एफ. इस न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर सकता है। जहाँ तक ई. आई. ए. 2006 का संबंध है, यह प्रस्तुति अकादमिक है और पैराग्राफ के बाद से प्रासंगिक नहीं है। 9 ई. आई. ए. 2006 का प्रावधान है कि पर्यावरण मंजूरी अधिकतम 30 वर्षों के अधीन अनुमानित परियोजना जीवन के लिए मान्य होगी।

146. खनन पट्टा धारकों के लिए विद्वान वकील ने भी भरोसा किया

उस पर

एस. एन. मोहंती बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। भारत संघ का तर्क है कि 4 अप्रैल, 2011 को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जारी एक अधिसूचना के बावजूद एक खनन पट्टा धारक के लिए पट्टे के नवीनीकरण के समय एक नई पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था, यदि - 40 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4000 द गोवा फाउंडेशन v.

मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

पर्यावरण मंजूरी बनी हुई थी। उस मामले में, याचिकाकर्ता के पास 15 जनवरी, 2007 को ई. आई. ए. 2006 के तहत प्राप्त पर्यावरण मंजूरी थी और खनन पट्टे का पहला नवीनीकरण 2 अप्रैल, 2012 को होना था। उस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता के लिए खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया किः ..... यदि किसी व्यक्ति के पास खनन पट्टे के नवीनीकरण की मांग के समय एक वैध और मौजूदा ईसी [पर्यावरण मंजूरी] है, तो भी उसे उत्तरदाताओं द्वारा नवीनीकरण के अनुदान से पहले एक और ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह, हमारे विचार में, एम. सी. मेहता में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का इरादा और उद्देश्य नहीं है। ई. आई. ए. 1994 के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता है।

147. हमारे समक्ष एक अंतिम निवेदन यह था कि इन मामलों को 9 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए क्योंकि गोवा, दमन और दीव खनन रियायत (खनन पट्टों का उन्मूलन और घोषणा) अधिनियम, 1987 की संवैधानिक वैधता कुछ मामलों में चुनौती के अधीन थी और उन मामलों में निर्णय शायद वर्तमान कार्यवाही को बदल देगा। निष्फल। इनमें से कुछ लंबित मामलों में, इस न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 2002 को संपत्ति मालिक संघ बनाम में 9 विद्वान न्यायाधीशों के फैसले की प्रतीक्षा करने का आदेश पारित किया था। महाराष्ट्र राज्य। 41 हम इस अनुरोध को स्वीकार करने और केवल इसे अस्वीकार करने के लिए इसका उल्लेख करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं।

लिथोफेरो में उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में गोवा राज्य को नए लाइसेंस देने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा कि वह गोवा राज्य को निर्देश दे सकता है गोवा फाउंडेशन के निर्देश के बावजूद खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण प्रदान करें।

निष्कर्ष और निर्देश

149. हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं -

निष्कर्ष निकालनाः

1. गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय, घोषणा और निर्देशों के परिणामस्वरूप, गोवा राज्य अनुदान देने के लिए बाध्य था

41 ( 2013 ) 7 एस. सी. सी. 522 दिनांक 20 फरवरी, 2002 [2018] 2 एस. सी. आर.

प्रतिस्पर्धी बोली या नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से नए खनन पट्टे प्रदान करें। गोवा राज्य द्वारा दिए गए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण अनावश्यक रूप से जल्दबाजी में किया गया था, जिसमें सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखे बिना और उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की गई थी और

इसलिए खनिज विकास के हित में नहीं। यह निर्णय केवल राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया था जो कि

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 (3) के दायरे से बाहर। गोवा राज्य द्वारा दिए गए खनन पट्टों का दूसरा नवीनीकरण अलग रखा जा सकता है और रद्द कर दिया जाता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय अनुदान देने के लिए बाध्य था

कानून और गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार खनन पट्टों के नए अनुदान के संबंध में नई पर्यावरण मंजूरी और न केवल 14 सितंबर, 2012 के स्थगन आदेश को हटा दिया गया।

लिथोफेरो बनाम में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय। गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से अलग निर्देश देने वाले गोवा राज्य (और बैच) को दरकिनार कर दिया गया है। जिन खनन पट्टा धारकों को गोवा फाउंडेशन में इस न्यायालय के निर्णय और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दूसरा नवीनीकरण दिया गया है, उन्हें अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए समय दिया जाता है और

15 मार्च, 2018 तक अपना खनन कार्य जारी रख सकते हैं। हालाँकि, उन्हें सभी खनन कार्यों को रोकने का निर्देश दिया जाता है 16 मार्च, 2018 से प्रभावी जब तक कि नए खनन पट्टे (नए नवीनीकरण या अन्य नवीनीकरण नहीं) दिए जाते हैं और नए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जाती हैं।

गोवा राज्य को नया अनुदान देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे। पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी उन लोगों को नई पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए जो नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल हैं। अभ्यास गोवा राज्य और मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाना चाहिए

जितनी जल्दी हो सके पर्यावरण और वन।

गोवा फाउंडेशन v. मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड। & ओआरएस। [ मदन बी. लोकुर, जे.]

गोवा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि विशेष जांच दल और चार्टर्ड की टीम

पट्टा नीति 2014 जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे और गोवा राज्य को जल्द से जल्द रिपोर्टों को लागू करना चाहिए, जब तक कि उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहुत अच्छे कारण न हों। गोवा राज्य सुधार में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

खनन पट्टा धारकों को जारी किए गए कारण दर्शाने के नोटिस के अनुसार और विशेष जांच दल और चार्टर्ड की टीम की रिपोर्ट सहित गोवा राज्य के पास उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के अनुसार देय राशि का

लेखाकार।

150. रिट याचिकाओं और एसएलपी का निपटारा उसी के अनुसार किया जाता है।

ई निष्कर्षों और निर्देशों से ऊपर।

याचिकाओं का

निपटारा किया गया।

के. त्रिपाठी